



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224275
CG-DL-E-07012021-224275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942
No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2021

विषय : चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्याति नोनाइल फिनोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम—सेस्टैट के पुनः प्रेषण का मामला।

फा. सं. 7/20/2018-डी जी ए डी.—1995 में तथा उसके बाद यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) तथा समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात् पाटनरोधी अथवा नियमावली के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में, महानिदेशक (इसके पश्चात् प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) ने चीनी ताइपेई (इसके पश्चात् संबद्ध देश के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'नोनाइल फिनोल' (इसके पश्चात् संदर्भ वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा आरंभ की थी।

क. पृष्ठभूमि

- जबकि, चीनी ताइपेई अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा 29 जून, 2006 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने, दिनांक 25 जून, 2007 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/13/2005 – डी जी ए डी के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जिसे दिनांक 22 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. 94/2007 - सीमा शुल्क के माध्यम से लागू किया गया था।

2. जबकि, पांच वर्षों में लागू शुल्कों के समाप्त होने के पश्चात्, प्राधिकारी ने एक निर्णायक समीक्षा आरंभ की थी और दिनांक 8 नवंबर, 2013 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/1007/2012 - डी जी ए डी के माध्यम से शुल्क को जारी रखे जाने की सिफारिश की। प्राधिकारी के जांच परिणाम को वित्त मंत्रालय (टी. आर. यू.) की दिनांक 16 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 5/2014 के माध्यम से लागू किया गया था।
3. जबकि, मैसर्स एस आई ग्रुप इण्डिया प्रा. लिमि. (इसके पश्चात् याचिकाकर्ता के रूप में भी संदर्भित) ने पूर्व में लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा को आरंभ करने का अनुरोध करते हुए और चीनी ताइपेई से आयातों के विरुद्ध शुल्कों को जारी रखे जाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। यह अनुरोध इन आधारों के आधार पर किया गया था कि इस उपाय के समाप्त होने से संभवतः संबद्ध वस्तुओं का पाटन और घरेलू उद्योग को परिणाम क्षति जारी रहेगी।
4. घरेलू उद्योग की ओर से दायर किए गए पाटन और क्षति की संभावना का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत सिद्ध किए गए आवेदन को देखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 12 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/20/2018 – डी जी ए डी के माध्यम से चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को सतत् रूप से लगाये जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जांच करने के लिए कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप संभवतः घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, के संबंध में दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ की थी।
5. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पूर्व की जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।
6. दिनांक 11 जनवरी, 2019 की जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/20/2018-डीजीएडी के संदर्भ में, प्राधिकारी ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

- i. घरेलू उद्योग के वित्तीय और आर्थिक मानदंड (मात्रा और कीमत दोनों) स्थिर हैं और गिरावट को नहीं दर्शा रहे हैं जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार अपेक्षित हो।
- ii. याचिकाकर्ताओं ने अपने वित्तीय मानदंडों के संबंध में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
- iii. याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना सिद्ध नहीं कर पाए हैं।
- iv. इस उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और समग्र लाभप्रदता क्षति की मौजूदगी अथवा खराब आर्थिक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।
- v. याचिकाकर्ताओं द्वारा पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने पर क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए कारकों का समर्थन जांच की अवधि के दौरान कीमत वसूली और संबद्ध वस्तुओं की कीमत की प्रवृत्तियों द्वारा नहीं किया गया है”

इस प्रकार, प्राधिकारी ने यह पाया कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक नहीं था और तदनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के समय-विस्तार की सिफारिश नहीं की।

7. दिनांक 11 जनवरी, 2019 के उपर्युक्त जांच परिणामों को घरेलू उद्योग द्वारा इस अधिनियम की धारा 9ग के अंतर्गत अपील में चुनौती दी गई थी। माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टैट) ने दिनांक 28 नवंबर, 2019 के अपने अंतिम आदेश सं. 51566/2019 के संदर्भ में उक्त अपील की अनुमति दी। माननीय सेस्टैट ने प्राधिकारी के चुनौती दिए गए जांच-परिणामों तथा रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच की और यह पाया कि प्राधिकारी द्वारा जिन निष्कर्षों पर पहुंचा गया, वे उपयुक्त नहीं थे। तदनुसार, माननीय सेस्टैट ने इस मामले को इस निदेश के साथ पुनः प्रेषित किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी संगत आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और पाटनरोधी शुल्क जिसे संबद्ध वस्तुओं जिनका आयात चीनी ताइपेई से किया जाता हो, शुल्क लगाया जाना आवश्यक है, उसकी भारत सरकार को सिफारिश करते हैं। माननीय सेस्टैट के निर्णयों का संगत उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

“24. उपर्युक्त को देखते हुए, हम निर्दिष्ट प्राधिकारी के दिनांक 11.1.2019 के निष्कर्षों और सिफारिशों से सहमत नहीं होते हैं। उसे अलग रखा जा सकता है और परिणामस्वरूप हम इन निष्कर्षों और सिफारिशों को खारिज करते हैं और इस मामले को पुनः निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस मामले की समग्र परिस्थितियों को नोट करते समय उपर्युक्त पाटनरोधी का परिकलन करने के लिए वापस भेजते हैं। चूंकि, हमने गुण के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के इन निष्कर्षों और सिफारिशों को खारिज किया है अतः अपील में उठाए गए अन्य सहायक मुद्दों की चर्चा अधिकांशतः शैक्षणिक होगी और इस कारण से उन पर गहराई से विचार नहीं किया जाएगा।

25. इस परिणाम में, अपील की अनुमति दी जाती है और इस मामले को वापस इस निदेश के साथ भेजा जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी संगत आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और पाटनरोधी शुल्क जिसे संबद्ध वस्तुओं उनका आयात चीनी ताइपेई से किया जाता हो, शुल्क लगाया जाना आवश्यक है, उसकी सिफारिश भारत सरकार को करते हैं। विविध आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।”

8. जबकि माननीय सेस्टैट का उक्त निर्णय 28.11.2019 को आया, पाटनरोधी शुल्क जिसे पहले दिनांक 16.01.2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 05/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था, पहले ही दिनांक 15.01.2019 को समाप्त हो गया था। इसके फलस्वरूप एक अंतराल आया और उसके देखते हुए माननीय सेस्टैट से स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करने के लिए विविध आवेदन देकर मांगा गया था कि क्या पाटनरोधी शुल्क मौजूदा शुल्क की समाप्ति के बाद शुल्क के समय विस्तार के संबंध में फोरेक इंडिया लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए मूल शुल्क अधिसूचना के समाप्त होने के बाद लगाया जा सकता है। उक्त निर्णय में यह माना गया है कि “इस अधिनियम ने आरंभिक पांच वर्ष की लेवी के समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्णायक समीक्षा को पूरा करने के लिए अवधि निर्धारित की है और यही एक वर्ष की अवधि है जिसे सरकार को इस दृष्टिकोण के लिए आधार बनाना चाहिए कि शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा पुनः होगी। इस कारण से, उसी अवधि के भीतर यह है कि इसका समय विस्तार अर्थात् पूर्व शुल्क अथवा इसके संशोधित रूपांतर की निरंतरता को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए तोड़े बिना किया जा सकता है....”
9. माननीय सेस्टैट दिनांक 21 फरवरी, 2020 के अपने विविध आदेश सं. 50114/2020 के संदर्भ में स्पष्टीकरण के लिए 2020 की विविध आवेदन सं. 50109 का निस्तारण किया और निम्नानुसार माना:

“25. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय का फोरेक इंडिया में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त निर्णय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल निर्धारण और न कि उस निर्धारण से संबंधित है जब अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इसे पुनः प्रेषित किया जाता है। आयातकों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के तर्क को भी उस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

26. तदनुसार इस आवेदन को उपर्युक्त स्पष्टीकरण के साथ निस्तारित किया जाता है।”

10. अतः वर्तमान जांच परिणाम दिनांक 28 नवंबर, 2019 और 21 फरवरी, 2020 के माननीय सेस्टैट के आदेशों के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

ख. प्रक्रिया

11. प्राधिकारी द्वारा इसमें नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन सेस्टैट में इसे चुनौती दिए जाने के पूर्व संबद्ध जांच के संबंध में किया गया था।
- महा निदेशक को पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से याचिकाकर्ता से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने का अनुरोध किया गया था।
 - विधिवत सिद्ध किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकारी ने चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12 जून, 2018 के जांच आरंभन अधिसूचना संख्या 7/20/2018 – डी जी ए डी जारी किया।

- iii. नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावास को जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना की प्रति और याचिका का अगोपनीय पाठ के साथ साथ नियम 6(2) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांचों को आरंभ किए जाने के बारे में सूचित किया गया था।
- iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों (जिनके नाम व पते याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे), को अधिसूचना की प्रतियां अग्रेषित की और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) और नियम 6(4) के अनुसार पत्र की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों को अवगत कराने के लिए अवसर प्रदान किया।
- क. फार्मोसन यूनियन केमिकल कारपोरेशन, 14 एफ, नं. 206, नानकिंग ईस्ट रोड, सेक्टर 2, ताइपेई, ताइवान।
- ख. चार्ना मेन मेड फाइबर कंपनी, 10 एफ, नं. 50, सेक्टर 1, हसिन शेंग रोड, ताइपेई, ताइवान।
- v. जबकि किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- vi. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं (जिनके नाम व पते आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को अधिसूचना की प्रति अग्रेषित की और उन्हें यह सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तिथि से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें -
- क. इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड
- ख. मैसर्स माइक्रो इंक्स लिमिटेड
- ग. मनाली केमिकल्स
- घ. मैसर्स सी. जी. शाह एंड कंपनी
- ङ. लियो केमोप्लास्ट प्रा. लिमि.
- च. लेक्सीकोन केमिकल्स प्रा. लिमि.
- छ. अक्षय इंडस्ट्रीज
- ज. समन ट्रेड इम्पेक्स प्रा. लिमि.
- झ. मैसर्स स्टेरलिंग आक्सीलियर्स प्रा. लिमि.
- ञ. मैसर्स कृष्णा एंटीयोक्सीडेंट प्रा. लिमि
- ट. स्टार आरकेम इंटरनेशनल प्रा. लिमि.
- ठ. जय केमिकल इंडस्ट्री लिमि.
- ड. यूनिटॉप केमिकल्स प्रा. लिमि
- ढ. इंडियन केमिकल्स काउंसिल
- केवल एक आयातक अर्थात् मैसर्स इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और मौखिक सुनवाई में भी भाग लिया और उसके बाद लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया
- vii. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) जनवरी – दिसंबर, 2017 (12 महीने) है। हालांकि, क्षति विश्लेषण की अवधि में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि शामिल है।
- viii. जांच की अवधि तथा पूर्व के तीन वर्षों के लिए लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़े वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त किए गए थे और उस पर इस जांच में विश्लेषण के उद्देश्य से विचार किया गया है।

- ix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया है और उसका इस अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से समाधान भी किया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ भी उपलब्ध कराया।
- x. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच इस नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर की है जिस से संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत और उत्पादन की लागत तय की जा सके।
- xi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 5 सितंबर, 2018 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किए। इन पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि ये मौखिक रूप से व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों को लिखित अनुरोधों के रूप में प्रस्तुत करें और उसके बाद प्रति उत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें। चीनी ताइपेई सरकार ने नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से मौखिक सुनवाई में भी भाग लिया और उसके बाद लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, दिए गए तर्कों और जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उस सीमा तक जिस सीमा तक उनके समर्थन में साक्ष्य दिए गए थे और वर्तमान जांच के लिए उन्हें संगत माना गया था, पर इस जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- xiii. प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में अपने आप को संतुष्ट किया जो इस जांच परिणामों का यथासंभव सीमा तक आधार बनता है और उसमें संगत और आवश्यक मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों/ दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- xiv. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 02.01.2019 तक का समय देते हुए एक प्रकटन विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए 24.12.2018 को जारी किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के इन दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।
- xvi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना देने से इन्कार किया है अथवा अन्य प्रकार से उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में बहुत अधिक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना और उसे इस अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किया।
- xvii. इस जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार की गई सूचना का द्योतक है।
- xviii. इस संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा ली गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 66.07 रुपए है।
- xix. माननीय सेस्टैट के निदेश के अनुपालन में, प्राधिकारी ने सेस्टैट के आदेशों के अनुसार संगत आंकड़ों का पुनः विश्लेषण करने के बाद पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि निर्धारित की है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का कार्यक्षेत्र

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

12. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व के जांचों में था अर्थात् नोनाइल फिनोल जिसे पारा नोनाइल फिनोल के रूप में भी जाना जाता है।
- ख. यह एक स्पष्ट चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसमें गाद नहीं होती है। नोनाइल फिनोल का रसायनिक सूत्र और संरचना $C_{15}H_{24}O$ है। इसका उत्पादन नोनिन के साथ फिनोल का अल्काइलेशन प्रतिक्रिया से किया जाता है।
- ग. जैसा कि पूर्व की जांचों में नोट किया गया है, याचिका दायर करने वाली घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंध देश से आयात किए गए उत्पाद की समान वस्तु है।

विरोध हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

13. विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद नोनाइल फिनोल है जिसे आमतौर पर पारा नोनाइल फिनोल के रूप में जाना जाता है।
15. यह एक स्पष्ट चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसमें गाद नहीं होती है। नोनाइल फिनोल का रसायनिक सूत्र और संरचना $C_{15}H_{24}O$ है। इसका उपयोग कृषि रसायनिक निर्माण के लिए अवयवों का और चिकनाई वाले तेलों में जंग अवरोधकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाली यौगिक का, तेल में घुलनशील फिनोलिक रेसिंग का बाद की सल्फोनेशन के बाद गैर इयनिक आर्दक के रूप में उपयोग के लिए नोनाइल फिनोली थाइलिन ओक्सफाइल गाढ़ा बनाने वाले पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग ज्वलन अवरोधकों और प्लास्टिसाइजरो में भी किया जाता है।
16. नोनाइल फिनोल प्रशुल्क कोड 2907 13 00 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद का आयात अन्य प्रशुल्क कोडों के अंतर्गत भी किया जाता है। हालांकि, यह वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों विचाराधीन के उत्पाद के तात्पर्य और कार्यक्षेत्र का विरोध नहीं किया है और वर्तमान जांच के निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही है जो पूर्व की जांचों में था।
18. जैसा कि पूर्व के जांचों में नोट किया गया है समान वस्तु के संबंध में, भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए संबंध वस्तुओं में और उन वस्तुओं में जिनका निर्यात संबंध देश से किया गया है, में कोई अधिक अंतर नहीं है। ये भौतिक और रासायनिक लक्षणों, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे विशेषताओं के मामले में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने के लायक हैं। ये उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में किए गए दावे का विरोध नहीं किया है।
19. याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन किए गए संबंध वस्तुओं को प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के आशय से संबंध देश से आयात किए गए संबंध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसका स्थान

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

20. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसके स्थान के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया :

- क. यह आवेदन मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमि. द्वारा दायर किया गया था। आवेदक संबंध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।

- ख. आवेदक घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में यथापरिभाषित पात्र घरेलू उद्योग है।
- ग. आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/ निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

21. घरेलू उद्योग अथवा इसके स्थान के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. यह याचिका मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमि. द्वारा दायर किया गया है आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है जो संबद्ध वस्तुओं का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया कि यह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पादक के किसी उत्पादक/ निर्यातक अथवा भारत में किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के आशय से पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5 (3) के संबंध में स्थान के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

23. गोपनीयता के संबंध में, घरेलू उद्योग के आंकड़ों को दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रवृत्तियों के रूप में समुचित रूप से प्रकट किया गया है। सामान्य मूल्य के संबंध में, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर उसके होने को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

24. घरेलू उद्योग द्वारा दावे किए गए अत्यधिक गोपनीयता को देखते हुए, यह विश्लेषण करना बहुत कठिन है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात मांग आपूर्ति के अंतर के कारण हुआ है।
25. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध और सत्यापन योग्य किसी कारण के बिना हैं। गोपनीयता के मामले मजूदरी, तय किया गया सामान्य मूल्य, कच्चा माल, पहुंच कीमत, लाभ/ हानि की प्रवृत्ति, उत्पादन की लागत, निवल बिक्री कीमत हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी, नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

27. अंतिम जांच परिणामों को दिए जाने के पूर्व आवश्यक तथ्यों के प्रकटन के लिए प्रावधान पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 में दिया गया है। नियम 16 के अंतर्गत भी, गोपनीय तथ्य केवल “अलग अलग हितबद्ध पक्षकारों” को प्रकट किया जाना अपेक्षित है जबकि अगोपनीय तथ्यों को सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाना अपेक्षित है। किसी भी चरण में महा निदेशक को प्रतिस्पर्धा करने वाले और विरोधी हितों वाले पक्षकारों को गोपनीय सूचना प्रकट करने की शक्ति नहीं दी गई है।
28. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गोपनीय आधार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता संबंधी दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में किया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि ये गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराये। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

च. विविध अनुरोध

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

29. निम्नलिखित अन्य विविध अनुरोध विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए हैं :

- क. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। शुल्क की समाप्ति के परिणाम तथ्यों पर आधारित होने चाहिए और न कि केवल मान्यताओं, अनुमानों और पूर्वानुमानों पर।
- ख. कंपनी के दो प्रमुख उत्पादों, फिनोल और नोनाइल फिनोल पर लगाये गये शुल्कों से घरेलू उद्योग को अच्छे तरीके से प्रदर्शन करने में सहायता मिली है। कंपनी पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण का लाभ उठाकर बाजार में एकाधिकारवादी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है।
- ग. फिनोल पर पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने में अनुचित लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। विदेशी बाजार में पाटन करने के लिए घरेलू उद्योग की बाध्यता उस स्थिति में नहीं समझी जा सकती है जब वे संरक्षित भारतीय बाजार में अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं।
- घ. याचिकाकर्ता ने उन पर शुल्क की समाप्ति के संभावित प्रभाव का कुछ स्वयं के लिए विश्लेषण किया है जो किसी आधार का नहीं है। घरेलू उद्योग चीन जन. गण. में इन सामग्रियों का पाटन कर रहा है और यह चाहता है कि भारत में इस शुल्क को जारी रखा जाये ताकि वे संरक्षित घरेलू ग्राहक आधार के साथ निर्यात बाजारों को नियंत्रित कर सके। याचिकाकर्ता द्वारा संभावना पर निकाले गये निष्कर्षों के विरुद्ध हमारा यह अनुरोध है कि शुल्क के समाप्त होने के परिणामस्वरूप कोई पाटन और क्षति फिर से उत्पन्न नहीं होगी।
- ङ. घरेलू उद्योग उनके द्वारा उत्पादन किए गए वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की सहायता से अपने व्यापार को स्टेज मैनेज कर रहे हैं और यह विदेशी बाजार में पाटन करने में लगा हुआ है जबकि प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है जिससे वे अपने व्यापार में अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
- च. घरेलू उद्योग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय फैसले का उल्लेख किए बिना निर्णायक समीक्षा की अनिवार्य प्रकृति के संबंध में एक कानूनी तर्क दिया है। पक्षकार के पास अपने विकल्प को प्रस्तुत करने के लिए अपने विशेषाधिकारों पर विचार किए बिना एक बाध्यकारी फैसले की उपेक्षा करने का कोई विकल्प नहीं है।
- छ. याचिका में ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे महा निदेशक यह निर्णय करने में सक्षम हो सकें कि शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप संभवतः पाटन अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा फिर से उत्पन्न होगी।

- ज. घरेलू उद्योग का उद्देश्य भारत में घरेलू बाजार को एकाधिकारवादी बनाना और आयातों को अनुचित रूप से नियंत्रित करना है।

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

30. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का उत्तर देते हुए, घरेलू उद्योग ने नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया :

- क. इस आरोप का कोई आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग एकाधिकारवादी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि शुल्क आयातों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता है।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के उत्तर में कि घरेलू उद्योग चीन में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर फिनोल और नोन नोनायिल फिनोल के विरुद्ध लागू शुल्कों के कारण अनुचित लाभ उठा रहा है, यह अनुरोध किया गया था कि इस तर्क में कोई दम नहीं है। भारत से आयातों पर चीन द्वारा लगाये गये पाटनरोधी शुल्क उनकी जांचों और उस देश के संबंध में तथ्यों पर आधारित नहीं है और इस कारण से आर्थिक मानदंडों के संबंध में वर्तमान जांचों में कोई संगतता नहीं है। किसी भी मामले में, चीन द्वारा लगाए गए शुल्कों से याचिकाकर्ता द्वारा कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है।
- ग. यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि शुल्क लगाने से प्रयोक्ता अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं क्योंकि जब उन्होंने घरेलू उद्योग से ही संबद्ध वस्तुओं की खरीद की थी, जांच की अवधि के दौरान उनके लाभों में वृद्धि हुई है।
- घ. निर्णायक समीक्षाओं के अनिवार्य आरंभ के संबंध में किए गए दावों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों का तर्क असंगत था क्योंकि महा निदेशक ने जांच आरंभ संबंधी अधिसूचना में यह नोट किया था कि प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना के संबंध में अपने आप को संतुष्ट कर लिया।

प्राधिकारी द्वारा जांच

31. विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोधों और संगत माने गए अनुरोधों का समाधान, प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून में इस बात की स्पष्ट रूप से परिकल्पना है कि पाटनरोधी शुल्क को समय समय पर और आगे बढ़ाया जा सकता है यदि ऐसा पाया गया हो कि पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के कारण पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। प्राधिकारी कानूनों के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करने के बाद ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।
- ख. जहां तक बाजार में घरेलू उद्योग की एकाधिकारीवादी स्थिति के संबंध में तर्कों का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क उपाय से अनुचित व्यापार प्रथाओं को ठीक किया जा सकेगा और पाटनरोधी उपाय लगाये जाने से आयात नहीं रूक सकता है। ये आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध रहने जारी रहेंगे और पाटनरोधी शुल्क उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्पों की उपलब्धता बनाये रखने और घरेलू बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित करने में मदद करेगा। इस कारण से घरेलू उद्योग के एकाधिकारवाद का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
- ग. भारत में फिनोल और नोनाइल फिनोल के विरुद्ध लागू शुल्कों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाये गये अनुचित लाभ के संबंध में तर्क के बारे में, यह आधारहीन है और इसमें कोई दम नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन की पद्धति और निर्धारण

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :

- क. चूंकि किसी निर्यातकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर हो सकता है।

- ख. निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, पोर्ट संबंधी खर्च और अंतरदेशीय भाड़े का समायोजन किया जाना चाहिए।
- ग. पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक भी है। इसके अलावा, गणना किए गए पाटन मार्जिन उस पाटन मार्जिन से अधिक है जो पूर्व की जांचों में था।
- घ. जैसा कि पूर्व की जांचों में नोट किया गया है, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का सतत् पाटन हुआ है और पाटन मार्जिन क्षति की समग्र अवधि सकारात्मक है।
- ड. भारत निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है और एकमात्र कारण यह कि उन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है, यह है कि उन्होंने मौजूदा शुल्कों को खपा लिया है और इस प्रकार से उसके जारी रहने की प्रति उदासीन है; अथवा यह कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि पाटन मार्जिन वास्तव में अधिक है।
- च. ऑटोमोटिव टायर मैनीफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में न्यायाधिकरण ने यह फैसला दिया था कि जांच आरंभ के समय सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर किया जा सकता है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग ने काल्पनिक आधार पर पर्याप्त पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है और मूल जांच तथा वर्तमान जांच ने निर्धारित पाटन मार्जिन के आधार पर संभावना के पहलू को सिद्ध करने में असफल रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी हैं जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध करायें। हालांकि, चीनी ताइपेई के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण से प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों के आधार पर आगे कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। इस कारण से, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

I. सामान्य मूल्य

35. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कच्चे मालों और उपयोगिताओं के लिए घरेलू उद्योग के आदर्शतम उपभोग मानदंडों और परिवर्तन की लागतों, ब्याज, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च, जिसमें उत्पादन की लागत पर उचित लाभ शामिल है, के सर्वोत्तम अनुमानों पर विचार करते हुए तय किया गया है।

II. निर्यात कीमत

36. प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध देश से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिए गए लेन देन वार आंकड़ों को अपनाया है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। निर्यात कीमत का समायोजन विचाराधीन उत्पाद की कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन पोर्ट संबंधी खर्च और अंतरदेशीय भाड़े संबंधी खर्च के लिए किया गया है।

III. पाटन मार्जिन

37. उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	राशि
सामान्य मूल्य	यू एस डालर.मी. ट /	***
निर्यात कीमत	यू एस डालर.मी. ट /	***
सी आई एफ	यू एस डालर /मी.ट .	***

विवरण	इकाई	राशि
पाटन मार्जिन	यू एस डालर.मी. ट /	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	रेंज	15-25%

38. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन और बहुत कम स्तरों से ऊपर है।

ज. क्षति के निर्धारण के लिए पद्धति

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

39. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया है :

- क. घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है। जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई, यह कम किए गए लाभप्रदता की लागत, निवेश पर लाभ और नकद लाभ से प्राप्त हुआ था।
- ख. जांच की अवधि में आयात की मात्रा में पूर्व के वर्ष की तुलना में गिरावट आई है, इस प्रकार की गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा अपनी बिक्री में वृद्धि करने के लिए कीमतों को संकुचित करने के कारण हुई है। हालांकि, शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, आयातों में संभवतः एक बार फिर वृद्धि होगी क्योंकि संबद्ध देश के उत्पादक बहुत अधिक निर्यात उन्मुख हैं।
- ग. आयातों में गिरावट के बावजूद, उनका बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे उपभोग का लगभग एक चौथाई होता है और उत्पादन की तुलना में लगभग एक तिहाई होता है।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा उचित बिक्री कीमत से कम कीमत पर बिक्री किए जाने के बावजूद, आयातों के कारण इसकी कीमतों में कटौती हो रही है। इससे स्पष्ट रूप से यह बात उजागर होती है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में संभवतः कटौती होना जारी रहेगा।
- ङ. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट और दबाव हुआ है। 2015-16 से तुलना किए जाने पर यह देखा जा सकता है कि बिक्री की लागत में जांच की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है। इसके कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए भी मजबूर हो गया।
- च. आयातों की पहुंच कीमत क्षति रहित कीमत से बहुत कम है। शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, ये आयात संभवतः क्षति कारक कीमतों पर बाजार में होंगे।
- छ. जबकि उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है फिर भी बिक्री में वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग गैर लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर हो गया है।
- ज. घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग किया गया है।
- झ. जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, आयातों में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को बाजार में अपना स्थान खोना पड़ेगा।
- ञ. कम उपयोग की गई क्षमता अलावा, घरेलू उद्योग को माल भंडार के जमा करने के मामले में भी नुकसान हुआ है।
- ट. घरेलू उद्योग का लाभ 2015-16 में उच्चतम स्तर पर था लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आई है।
- ठ. उसी प्रकार से, नकद लाभ में 60 प्रतिशत तक गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के निवेश पर लाभ 2015-16 में प्राप्त स्तर का एक तिहाई है।

- ड. क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग समुचित लाभ अथवा आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है।
- ढ. इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि यदि क्षति शुल्कों के बावजूद जारी रहती है, तब इसे नुकसान होगा। इस प्रकार का तर्क वर्तमान और विगत मामलों में तथ्यों, कानून और पाटन मार्जिन के प्रतिकूल है। इस तथ्य की धारा 9क (5) में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना का उल्लेख है, यह स्पष्ट करता है कि कानून इस बात को मान्यता देता है कि क्षति शुल्कों के बावजूद जारी रह सकती है।

विरोधी पक्षकारों का दृष्टिकोण

40. क्षति के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है :

- क. आयातों की कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की लागत में गिरावट के अनुरूप है।
- ख. यदि ताइवान में उत्पादकों ने क्षमताओं का कम उपयोग किया था तब ताइवान से निर्यातकों में गिरावट नहीं हुई होती।
- ग. उत्पादन और खपत की तुलना में भी आयात के हिस्से में गिरावट आई है और यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं तब इन मानदंडों पर कोई आसन्न संभावित क्षति नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षति को नहीं दर्शाता है क्योंकि घरेलू उद्योग का एक साझा संयंत्र है और संयंत्र के उपयोग में सुधार हुआ है।
- ड. बिक्री की कीमत में गिरावट यह दर्शाते हुए लागत में गिरावट की तुलना में कम थी कि कीमत पर कोई दबाव नहीं पड़ा था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ और नियोजित पूंजी पर लाभ 0-10 प्रतिशत तक हुआ था।
- च. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2015-16 में, उसी अवधि में गिरावट को दर्शाते हुए आयात कीमत के बावजूद तेजी से वृद्धि हुई।
- छ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
- झ. घरेलू उद्योग के पास उपयोग न की गई क्षमता की राशि शुल्क को सतत रूप से लगाये जाने के लिए एक कारण नहीं हो सकता है।
- ञ. याचिका संबद्ध देश से आयातों के बारे में कोई वास्तविक सूचना नहीं दर्शाती है और इस कारण से आयातों द्वारा भारित पर्याप्त बाजार हिस्से के दावे माने जाने योग्य नहीं हैं।
- ट. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- ठ. यदि घरेलू उद्योग को पाटन के आरोपण के पश्चात् क्षति हुई है तब इस प्रकार की क्षति अपने ही कारण से हुई है।
- ड. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में पाटनरोधी करार के अंतर्गत दिशा निर्देश तथा धारा 9क (5) के विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि आयातों का भारत में पाटित किया जाना जारी रहा है। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यह एक स्वस्थ एवं लाभप्रद स्थिति में है।
- ढ. ताइवान से आयात में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ण. क्षमता के उपयोग में गिरावट का कारण डी ओ पी के उत्पादन में कमी है।
- त. घरेलू उद्योग निवेश पर उचित से अधिक आय अर्जित कर रहा है और नकद लाभ जांच की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक है।

- थ. घरेलू उद्योग इस अवधि के दौरान क्षति रहित कीमत अर्जित करने में सक्षम रहा है।
- द. घरेलू उद्योग का अपनी संस्थापित संस्था के संबंध में दावा इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है।
- ध. चूंकि घरेलू उद्योग गोपनीय तरीके से फिनोल का निर्माण कर रहा है अतः फिनोल की वास्तविक कीमत संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर डाली जानी चाहिए।
- न. क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - III के पैरा (4) के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।
- प. क्षमता के उपयोग में गिरावट के दावे त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि घरेलू उद्योग लगभग उसकी बिक्री करने में सक्षम रहा है, जितना इसने उत्पादन किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किए गए क्षति विश्लेषण अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
42. पाटनरोधी नियमावली का इसके अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करने के लिए कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में रूक जाती जो अन्यथा हुई होती, आवश्यक माना गया है।
43. इस नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन यह दर्शाता है कि इसे क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है तब प्राधिकारी इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से उत्पन्न होने की संभावना है।
44. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच करने की कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग का वर्तमान क्षति, यदि कोई हो की जांच करने की कार्यवाही करते हैं। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने ऐसे सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति और नियमावली के अनुबंध - II के अनुसार पाटन मा आकार और मार्जिन जैसे सूचकांकों पर विचार किया है।

I. मांग का आकलन

45. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट उपभोग को सभी स्रोतों से आयातों तथा आवेदक की घरेलू बिक्री और कैप्टिव उपभोग के योग के रूप में परिभाषित किया है। आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों को स्पष्ट उपभोग को तय करने के उद्देश्य से गणना से बाहर कर दिया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	8,250	8,702	10,100	12,632
संबद्ध देश से आयात	मी. ट.	7,246	6,826	6,145	4,512
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	45	1,265	970	285
कैप्टिव उपभोग	मी. ट.	***	***	***	***
कुल मांग	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	111	113

46. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

II. पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव

i. आयातों की मात्रा और आयातों का बाजार हिस्सा

47. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए लेन देन वार आयात आंकड़ों पर विचार किया है।

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश	मी. ट.	7,246	6,826	6,145	4,512
अन्य देश	मी. ट.	45	1,265	970	285
कुल आयात	मी. ट.	7,292	8,091	7,115	4,796
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात					
भारतीय उत्पादन	%	81.01	62.00	53.21	32.39
मांग	%	46.62	40.65	35.70	25.89

48. यह देखा गया है कि :

- क. संबद्ध देश से आयातों में क्षति की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ख. भारतीय उत्पादन और उपभोग की तुलना में संबद्ध देश से आयातों में भी आयात की मात्रा में गिरावट के साथ गिरावट आई है।

III. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

49. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

50. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संबंध में महा निदेशक से यह अपेक्षित है कि वे कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत पर दबाव, यदि कोई हो, के संबंध में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करें।

i. कीमत में कटौती

51. इस बात का निर्धारण करने की उद्देश्य से की आयातों से कीमतों में कटौती हो रही है, घरेलू उद्योग ने उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों के निवल पर औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना के लिए सूचना दी है। तदनुसार, घरेलू कीमतें और कटौती का मार्जिन नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

विवरण	यू ओ एम	जांच की अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	96,361
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***

कीमत में कटौती	%	***
कीमत में कटौती	रेंज	0-10%
औसत पाटनरोधी शुल्क	रु./ मी. ट.	16193
पाटनरोधी शुल्क के बाद पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	1,12,554
पाटनरोधी शुल्क के बाद कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***
पाटनरोधी शुल्क के बाद कीमत में कटौती	%	***
कीमत में कटौती	रेंज	नकारात्मक

52. यह नोट किया जाता है कि जब पाटनरोधी शुल्क पर विचार करने के बाद गणना की जाती है तब कीमत में कटौती नकारात्मक है और जब उसकी गणना पाटनरोधी शुल्क के बिना की जाती है तब वह सकारात्मक होती है। हालांकि, यह अंतर बहुत कम है और इससे घरेलू उद्योग की प्रक्रिया पर कीमत संबंधी किसी दबाव के उत्पन्न होने पर विचार नहीं किया जाता है।

ii. कीमत न्यूनीकरण और उस पर दबाव

53. इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता और कीमत में वृद्धि रुक जाती है जो अन्य प्रकार से हुई होती, घरेलू उद्योग ने नीचे दिए गए अनुसार क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन के लिए सूचना दी है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
पाटनरोधी शुल्क के साथ आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	1,36,329	1,22,757	99,105	1,12,554
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	73	83
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	1,20,136	1,06,564	82,912	96,361
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	69	80
घरेलू की बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	69	79
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	73	80

54. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत (पाटनरोधी शुल्क के साथ) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत से अधिक है। यह भी देखा गया है कि बिक्री की लागत, बिक्री की कीमत और आयात की कीमत में आधार वर्ष की तुलना में 2016-17 तक गिरावट आई परंतु उसमें जांच की अवधि में वृद्धि हुई। हालांकि, पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना पहुंच मूल्य की तुलना दर्शाती है कि आयात कीमतें बिक्री कीमत की तुलना में कम हैं।

55. इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कि कीमत न्यूनीकरण अथवा उस पर दबाव पड़ा है, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि की तुलना में लागत से बिक्री अनुपात पर भी विचार किया है।

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
बिक्री की अनुपात लागत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	94	99

56. यह देखा गया है कि जांच की अवधि बिक्री की लागत अनुपात उसी सीमा में बढ़ रहा है और इस कारण से घरेलू उद्योग पर किसी नकारात्मक प्रभाव पड़ने के रूप में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

iii. **कम कीमत पर बिक्री अथवा क्षति मार्जिन**

57. कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन कम कीमत पर बिक्री की सीमा को तय करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से क्षति रहित कीमत की तुलना कर की गई है।

विवरण	यू ओ एम	चीनी ताइपेई
आयात की मात्रा	मी. ट.	4512
पाटनरोधी शुल्क के साथ आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	1,12,554
क्षति रहित कीमत	रु./ मी. ट.	***
कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	(5-15)
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	96,361
कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	Range	0-10%

58. क्षति रहित कीमत से पहुंच मूल्य की तुलना से यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्कों को जोड़े जाने के बाद कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक रही है और पाटनरोधी शुल्कों को जोड़े बिना यह सकारात्मक रही है।

IV. **घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड**

59. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की चर्चा यहां नीचे की गई है :

i. **उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग एवं बिक्री की मात्रा**

60. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क्षमता	मी. ट.	24,315	24,315	24,315	24,315
उत्पादन	मी. ट.	8,945	11,008	11,550	13,928
क्षमता का उपयोग	%	36.79	45.27	47.50	57.28
घरेलू बिक्री	मी. ट.	8,250	8,702	10,100	12,632

61. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है जबकि घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता के उपयोग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भी क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

62. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	53.08	51.82	58.67	72.48
संबद्ध देश से आयात	%	46.62	40.65	35.70	25.89
अन्य देशों से आयात	%	0.29	7.53	5.63	1.63
कुल मांग	%	100	100	100	100

63. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि मांग में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iii. माल भंडार

64. संबद्ध वस्तुओं के माल भंडार से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में माल भंडार	मी.ट .	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	80	74

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में माल भंडार में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है।

iv. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

66. घरेलू उद्योग का लाभ/ हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
लाभ/ हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,164	856	290
लाभ/ हानि	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,103	699	190
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	504	397	200
नियोजित पूंजी पर लाभ – एन एफ ए	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	935	998	291

67. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लाभ में कमी आई है लेकिन वह क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान सकारात्मक है। नकद लाभ से संबंधित प्रवृत्ति के बारे में यह नोट किया गया है कि इसमें वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 200 के स्तर तक पहुंच गया। नियोजित पूंजी पर लाभ की प्रवृत्ति में भी 291 के स्तर तक वृद्धि हुई है।

v. रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

68. रोजगार और मजदूरी नीचे दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	95	97
प्रति इकाई मजदूरी	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	99	102
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट./ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	135	161
उत्पादकता	किग्रा./ व्यक्ति/ दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	135	160

69. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमोवेश स्थिर रही है। मजदूरी और प्रति इकाई मजदूरी क्षति की पूरी अवधि के दौरान प्रायः उसी सीमा में रही है। हालांकि, प्रति कर्मचारी उत्पादकता और प्रतिदिन उत्पादकता में उत्पादन में वृद्धि के साथ क्षति की पूरी अवधि में वृद्धि हुई है। हालांकि, ये क्षति को नहीं दर्शाते हैं।

vi. पाटन का आकार

70. यह नोट किया गया है कि पाटन का मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम स्तर के सबसे ऊपर है।

vii. विकास

71. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन, घरेलू बिक्री की मात्रा, क्षमता का उपयोग और बाजार हिस्से के मामले में घरेलू उद्योग का विकास सकारात्मक है तथा लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में भी विकास क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान सकारात्मक है।

झ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

72. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा इसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है :

- क. संबद्ध देश में उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि संबद्ध वस्तु का इन निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह कि वे निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- ख. संबद्ध देश में घरेलू मांग उसमें उत्पादकों की क्षमता का केवल 13 प्रतिशत उपयोग करने के लिए पर्याप्त है।
- ग. इसके अलावा, संबद्ध देश में उत्पादकों की क्षमताओं का लगभग 40 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है।
- घ. विदेशी उत्पादकों की निष्क्रिय क्षमताएं 24,376 मी. ट. है जो भारतीय बाजार को कब्जाने के लिए पर्याप्त है, जिसकी मांग केवल 17,215 मी. ट. है।
- ङ. यू एस ए, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित अन्य बाजारों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है। इस कारण से संबद्ध देश में उत्पादक एशिया में भी बाजार पा सकते हैं।
- च. जबकि चीन जन. गण. ताइवान में उत्पादकों के लिए एक बड़ा बाजार था, इसने ताइवान से निर्यात की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिया। यह नोट किया जा सकता है कि चीन जन. गण. में ताइवान से आयातों के विरुद्ध मार्च, 2018 में दूसरी निर्णायक समीक्षा आरंभ की है।

- छ. इसके अलावा, 2011 में चीन जन. गण. में गंभीर रूप से प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की सूची में संबद्ध वस्तुओं को जोड़ दिया।
- ज. ताइवान एशियाई दुलाई मार्ग का केन्द्र है जो इसे भारी मात्रा में जहाज से माल भेजने की अपेक्षाकृत कम शिपिंग लागत के मामले में कुछ भौगोलिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- झ. अन्य एशियाई देश जैसे सिंगापुर और मलेशिया संबद्ध देश से निर्यातों के लिए एक स्थिर बाजार नहीं देता है।
- ञ. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के प्रतिकूल कोरिया संबद्ध वस्तुओं के लिए अधिक मांग की पेशकश नहीं करता है।
- ट. जबकि यू एस ए में निर्यात में वृद्धि हुई है, उसकी मात्रा भारत में निर्यात मात्रा से तुलना नहीं की जा सकती है।
- ठ. एक बाजार के रूप में चीन जन. गण. के खोने के साथ, संबद्ध देश में उत्पादकों को धक्का लगा है क्योंकि इसका निर्यात 2010 में लगभग 15,000 मी. ट. से गिरकर 2016 और 2017 में लगभग 1500 मी. ट. हो गया है।
- ड. 2010 से 2012 के बीच 8000 मी. ट. तक निर्यातों में गिरावट के साथ भी, संबद्ध देश में निर्यातकों ने 5000 मी. ट. तक क्षमता में विस्तार किया।
- ढ. एक बाजार के रूप में भारत का महत्व इस तथ्य से बढ़ गया है कि भारत में मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्द्रत की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ जाने की आशा है।
- ण. आयातों में भी शुल्कों की वृद्धि के कारण गिरावट आई है।
- त. निर्यातक न केवल पूर्व की जांचों में पाटन कर रहे थे बल्कि क्षति की समग्र अवधि में भी सतत रूप से पाटन हो रहा है। वास्तव में, पाटन मार्जिन पूर्व की जांच में पाटन मार्जिन की तुलना में अधिक है।
- थ. ताइवान से अन्य देशों में निर्यात का 99 प्रतिशत पाटित कीमतों पर किया गया है। इसके अलावा, निर्यात का 87 प्रतिशत की पहुंच कीमत उचित कीमत से कम है, और 80 प्रतिशत निर्यात उन कीमतों पर किया गया है जो भारत में बिक्री की कीमत से कम है। इससे निर्यातकों के कीमत निर्धारण संबंधी व्यवहार परिलक्षित होता है क्योंकि वे अनुचित प्रतिस्पर्धा का सहारा लेते हैं।
- द. यदि शुल्कों के समाप्त होने के संभावित प्रभाव को देखा जाए, तब यह देखा जायेगा कि आयात संभवतः स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादों और खपत की तुलना में बढ़ेगा। इसके अलावा, इन आयातों के संभवतः घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और उस पर दबाव अथवा उसके न्यूनतम होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्सा संभवतः गिर जायेगा जिससे घरेलू उद्योग को उत्पादन का कम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपेक्षाकृत कम क्षमता उपयोग और कम कीमतों से भी घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और संभवतः यह घाटे में जाने के लिए मजबूर होगा।
- ध. इस संबंध में आरोपों का उत्तर देते हुए यह अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना को सिद्ध करते हुए सभी ब्यौरे रद्द कराये हैं।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

73. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सार यहां नीचे दिया गया है :

- क. घरेलू उद्योग ने काल्पनिक आधार पर पर्याप्त पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है और यह मूल जांच में तथा वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन के आधार पर संभावना के पहलू को सिद्ध करने में असफल रहा है।

- ख. घरेलू उद्योग ताइवान में निष्क्रिय पड़े उपयोग न किए गए किसी अतिरिक्त मात्रा को नहीं दर्शा सका जिसे भारत में वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि भारत में आर्द्रकों की प्रति व्यक्ति खपत प्रति व्यक्ति मात्र 0.4 कि.ग्रा. है जबकि इसका वैश्विक औसत 3.5 कि.ग्रा. है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं जो आर्द्रकों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं कि शेष विश्व में अपेक्षाकृत अधिक मांग होगी और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भारत संबद्ध वस्तुओं के लिए सबसे बड़ा बाजार होने जा रहा है और ताइवान के निर्यातक और अधिक सामग्री भारत में भेजेंगे। इसके अलावा, जबकि याचिकाकर्ता 39 प्रतिशत निष्क्रिय क्षमता का दावा करता है, ताइवान से भारत में और विश्व में भी निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक गिरावट आई है। यदि इस प्रकार के स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं के दावे सही है तब निर्यातों के लिए पिछले कुछ वर्षों में कम होने का कोई कारण नहीं था। ताइवान ने उस स्थिति में भारत में बहुत अधिक निर्यात किया जब पाटनरोधी शुल्क विगत में लागू थे और निर्यातों में कमी को एक ऐसे कारक के रूप में देखा जाना चाहिए जो ताइवान से भारत में निर्यातों की प्रकृति में परिवर्तन को दर्शाता है जो पाटन और क्षति की किसी संभावना को नहीं दर्शाता है।
- ग. यह दावा किया गया है कि ताइवान में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक अत्यधिक निर्यात उन्मुख हैं। हालांकि, यह अनुरोध, संभावना को सिद्ध नहीं करता है क्योंकि ताइवान से भारत में और विश्व में भी निर्यात में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर पिछले 4 से 5 वर्षों में बहुत अधिक गिरावट आई है। निर्यात योग्य क्षमता के 54000 मी. ट. के दावे की तुलना में, ताइवान 2017 में 30000 मी. ट. से कम निर्यात कर रहा था जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अनुमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- घ. यह दावा किया गया है कि ताइवान में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों पर विभिन्न निर्यात बाजार में नोनाइल फिनोल के उपयोग पर प्रतिबंधों के कारण प्रभाव पड़ा है। तथ्य यह है कि किसी भी देश में नोनाइल फिनोल के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। वास्तव में चंद याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि नोनाइल फिनोल के लिए विश्व में मांग और भारतीय बाजार में भी मांग और अधिक बढ़ेगी। इस उत्पाद के उपयोग पर लगाये गये कुछ विनियमनों का तात्पर्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों से बचना है और न कि परस्पर उत्पाद को प्रतिबंधित करना है। इस प्रकार से इन दावों का कोई आधार नहीं है।
- ङ. अगर भारत एक पसंदीदा स्थान हुआ होता तो भारत में निर्यात में वृद्धि होनी चाहिए थी जब समग्र निर्यात में गिरावट आई। किसी भी मामले में, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और यू.एस.ए. को निर्यात में इस अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई जो यह दर्शाता है कि भारत एकमात्र स्थान नहीं है जहां मांग अधिक है।
- च. जबकि ताइवान से विश्व में निर्यात 2010 में 43,533 मी. ट. से कम होकर 2017 में 29,264 मी. ट. हो गया, भारत में निर्यात 7,477 मी. ट. से कम होकर 4,893 मी. ट. तक पहुंच गया। भारत में निर्यात की प्रवृत्ति की तुलना शेष विश्व से नहीं की जा सकती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

74. प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध II (vii) और अन्य कारकों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है :

- क. संबद्ध देश में उत्पादकों के वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यह सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं है कि अतिरिक्त क्षमताओं को पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किए जाने की स्थिति में भारत में परिवर्तित किया जायेगा।
- ख. संबद्ध देश में पर्याप्त घरेलू मांग और भारी मात्रा में उपयोग न की गई क्षमता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी साक्ष्य कि उसका उपयोग भारत में वस्तुओं को पाटित करने के लिए किया जाएगा, के अभाव में, कोई प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध देश से निर्यातों के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता है।

- ग. यू एस ए, कनाडा और यूरोपीय संघ द्वारा निर्यात प्रतिबंधों और इस कारण से एशिया के एकमात्र उपलब्ध बाजार होने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी साक्ष्य कि उसका उपयोग भारत में वस्तुओं को पाटित करने के लिए किया जाएगा, के अभाव में, कोई प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध देश से निर्यातों के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता है।
- घ. चीन द्वारा पाटनरोधी उपायों और ताइवान से निर्यातकों के लिए इसके बाजार हिस्से के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि दोनों जांचों की तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग हैं और इस कारण से दोनों को उस मामले के तथ्यों को समझे बिना एक समान नहीं माना जा सकता है।
- ङ. एशियाई परिवहन मार्गों के केंद्र के रूप में ताइवान के होने के संबंध में जो भारी मात्रा में जहाज से ढुलाई करने की अपेक्षाकृत कम शिपिंग लागत के संबंध में कुछ भौगोलिक लाभ प्राप्त करने के उनके निर्यातकों को अनुमति देता है, यह अनुरोध किया जाता है कि उसे उनके विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।
- च. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि हितबद्ध पक्षकारों का दावा प्रतिकूल है, कोरिया संबद्ध वस्तुओं के लिए बहुत अधिक मांग की पेशकश नहीं करता है। यह नोट किया जाता है कि उसका घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- छ. यह कि एक बाजार के रूप में भारत का महत्व इस तथ्य से बढ़ जाता है कि भारत में मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्द्रकों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ जाने की आशा है। इस कारण से शुल्कों को निरस्त किए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ज. उपर्युक्त से, यह नोट किया जाता है कि यदि शुल्कों को निरस्त कर दिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि ये आयात स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना दोनों में बढ़ जाने की कोई संभावना नहीं है।

ट. कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

75. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग का अनुरोध का सारांश यहां नीचे दिया गया है :

- क. निर्णायक समीक्षा के मामले में, संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने की कोई अपेक्षा नहीं है।
- ख. घरेलू उद्योग को क्षति का कारण कोई अन्य कारक नहीं है और यह संबद्ध देश से पाटन के कारण हुआ है।
- ग. कारणात्मक संबंध इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि आयातों के बाजार हिस्से में केवल इस कारण से गिरावट हुई है कि घरेलू उद्योग ने आयातों की पहुंच कीमत का सामना करने के लिए अपनी बिक्री कीमत में कटौती की।
- घ. गिरावट के बावजूद, इन आयातों का बाजार का एक प्रमुख हिस्सा बनाए रखना जारी है।
- ङ. घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई बिक्री हुई कम हुई लाभप्रदता की लागत पर हुई।
- च. शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को संभवतः क्षति होगी और इसका उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ और अन्य आर्थिक मापदंड के और खराब होने की संभावना है।

विरोधी पक्षकारों का दृष्टिकोण

76. कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश इसमें नीचे दिया गया है :

- क. संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योगों को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है।
- ख. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता ने 2015-16 की अवधि में कुछ असामान्य उछाल दर्शाया है। लाभप्रदता 100 अंक से बढ़कर 2015-16 में 1103 सूचकांक तक पहुंचा। यह दर्शाता है कि लाभप्रदता सीधे आयातों से प्रभावित नहीं होती है और इस प्रकार की वृद्धि का संबंध आयात की कीमत से नहीं हो सकता है। वास्तव में, जब आयात की कीमत वर्ष 2014-15 में 110/- प्रति कि.ग्रा. के स्तर से 2015-16 में 97/- प्रति कि.ग्रा. तक कम हो गई है, इस प्रकार का लाभ दर्ज नहीं किया गया था। यह ऐसे अन्य कारणों के मौजूद होने को दर्शाता है जिसका घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ता हो, जो घरेलू उद्योग के कारणात्मक संबंध के दावे को नकार देता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध के संबंध नीचे दिए गए अनुसार अनुरोधों की जांच की है :

- क. इस अनुरोध के संबंध में की निर्णायक समीक्षा के मामले में, संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी प्रथा के मामले में निर्णायक समीक्षा जांच में भी कारणात्मक संबंध की जांच करते हैं।
- ख. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षता नकारात्मक है। आयातों के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है।
- ग. उपर्युक्त विश्लेषण से यह नोट किया जाता है कि इसका सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि घरेलू उद्योग को शुल्कों को समाप्त होने की स्थिति में क्षति उठानी पड़ेगी।

ठ. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

78. घरेलू उद्योग ने दिनांक 27.12.2018 और 01.01.2019 के पत्रों/ ई-मेल को प्रस्तुत किया और इसके साथ ही प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :

- क. यह कि कुछ आवश्यक तथ्य जो निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का आधार बनेंगे, को प्रकटन विवरण में प्रकट नहीं किया गया है। इस कारण से घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षति के तथ्यों की संभावनाओं पर प्राधिकारी से निष्कर्ष, तय किया गया सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन को प्रकट करें। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि समुचित प्रकटन के अभाव में, घरेलू उद्योग को कोई सार्थक टिप्पणियां देने से रोका गया है।
- ख. यह कि प्राधिकारी ने सीमा प्रशुल्क नियमावली 1995 के नियम 16 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। अपने अनुरोधों को सही साबित करने के लिए घरेलू उद्योग ने विश्व व्यापार संगठन के कुछ फैसलों और सेसेटेट और उच्च न्यायालयों के निर्णयों को प्रस्तुत किया है।
- ग. यह कि प्राधिकारी को प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रकट रूप से भेजे गए पत्रों पर विचार करना चाहिए।
- घ. यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाये जाने की मांग कर सकते हैं क्योंकि मौजूदा शुल्कों की अवधि शीघ्र समाप्त हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उस स्थिति में प्राधिकारी पांच वर्षों तक की अवधि को बढ़ाये जाने का निर्णय लेते हैं तब इस मामले में उच्चतर प्राधिकारियों को इस अवधि में विस्तार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पायेगा।
- ङ. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को प्रकटन विवरण में तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के संबंध में उचित रूप से समझा नहीं गया है। इस कारण से घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों की अपनी ही व्याख्या दी है।
- च. यह कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार, "प्राधिकारी एक अंतिम निर्धारण किए जाने की पूर्व विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के बारे में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करेंगे जो इस निर्णय का आधार बनता है कि क्या निश्चयात्मक उपायों को लागू किया जा सकता है।" इस कारण से, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के कारणात्मक संबंध और संभावना के मामले में अपने निष्कर्ष को प्रकट नहीं करना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने उनके तर्क के समर्थन में विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों और उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है।
- छ. यह कि प्राधिकारी ने गहन और सतत् पाटन, कीमत न्यूनीकरण, कम हुई लाभप्रदता, निर्यातकों का कीमत निर्धारण संबंधी व्यवहार, घरेलू उद्योग पर संभावित मात्रा और मूल्य का प्रभाव और इसकी लाभप्रदता की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए कुछ अनुरोधों पर विचार नहीं किया है।

- ज. इसी प्रकार से, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांचों में कारणात्मक संबंध के विश्लेषण की संगतता के संबंध में अपने अनुरोध की जांच नहीं की है। इस कारण से, घरेलू उद्योग प्राधिकारी के निर्णय पर अपनी टिप्पणियां देने की स्थिति में नहीं हैं।
- झ. यह कि घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि निर्यातकों द्वारा सहयोग न किए जाने का एकमात्र कारण या तो यह है कि वे इन शुल्कों को खपाने में सक्षम रहे हैं अथवा यह कि वास्तविक पाटन मार्जिन असल में अधिक है। इस कारण से, निर्यातकों का असहयोग स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि लगाये गये शुल्कों की मात्रा वास्तव में कम है और शुल्कों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है।
- ञ. यह कि प्राधिकारी ने आधार वर्ष से जांच की अवधि तक क्षति संबंधी मानदंडों की केवल तुलना करते हुए इन शुल्कों के समाप्त होने के बाद की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि शुल्कों को समाप्त किए जाने के बाद, पाटन और अधिक होगा तथा घरेलू कीमतों पर उस दबाव के कारण वृद्धि होगी।
- ट. यह कि यद्यपि घरेलू उद्योग में बाजार हिस्से के मामले में लाभ प्राप्त किया फिर भी इसकी लाभप्रदता को नुकसान पहुंचा है। इस कारण से यदि उन शुल्कों को जारी नहीं रखा जायेगा तब इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आर्थिक और वित्तीय कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- ठ. यह कि प्राधिकारी को अपने अंतिम निष्कर्ष करने के पूर्व विदेशी उत्पादकों और उनके उच्च निर्यात उन्मुखीकरण और तीसरे देश में उनके निर्यात के साथ स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं पर विचार करना चाहिए।
- ड. यह कि प्राधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि आयात की मात्रा में गिरावट बढ़े हुए शुल्कों के कारण हुई है और संबद्ध देशों से निर्यातक अभी भी भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में फिर से पाटन कर सकते हैं।
- ढ. यह कि चूंकि प्रकटन विवरण में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समग्रता में इन तथ्यों पर विचार किए जाने को समझने के लिए कर्तव्य विमूण है। घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के प्रावधानों के संबंध में सभी आवश्यक तथ्यों को प्रकट किए जाने के साथ ही और आगे अनुरोध करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।

विरोधी पक्षकारों का दृष्टिकोण

79. प्रकटन पश्चात् अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश इसमें नीचे दिया गया है :

- क. यह कि प्रकटन विवरण के अनुसार घरेलू उद्योग के पास लगभग 24315 मी. ट. की क्षमता है जो देश में मांग की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि घरेलू उद्योग भारत में पूरी मांग को पूरा करेगा, उनके पास 30 प्रतिशत तक उपयोग न की गई क्षमता रह जायेगी। इस कारण से, इस प्रकार की उपयोग न की गई क्षमता पर विचार पाटनरोधी अवधि को आगे पांच वर्षों तक बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- ख. यह कि इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमताओं के बाद और घरेलू तथा निर्यात में कार्य निष्पादन में अलग अलग करने के बाद भी घरेलू उद्योग बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। इस कारण से घरेलू उद्योग वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में आयातों से किसी क्षति के लिए अरक्षित नहीं है।
- ग. यह कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य घरेलू उद्योग द्वारा विदेशी बाजार की मांग को पूरा करने के लिए सृजित अतिरिक्त क्षमताओं को सुरक्षित नहीं रखना है। इसके अलावा, आयातों से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका।
- घ. यह कि वर्तमान जांच के एक अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण संभावित रूप से निर्धारित क्षति मार्जिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे वर्तमान मामले के तथ्यों में पर्याप्त के रूप में नहीं देखा गया है। घरेलू उद्योग क्षति की समग्र अवधि में अच्छे तरीके से कार्य करता रहा है और यह परिवर्ती जांच की अवधि के बाद भी जारी है।

- ड. यह कि आयात में कमी पहुंच कीमत में कमी के समय ही हुई और यह घरेलू उद्योग की लागत की कमी की तुलना में कम थी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताओं का सिद्धांत खत्म हो जाता है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भारत में भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत अतिरिक्त क्षमताओं के सिद्धांत सही भी थे, तब भारत को दिए गए तथ्यों के साथ पहले से ही कम कीमत पर बहुत अधिक आयातों को देखना पड़ता। आयात कीमत और मात्रा क्षति की अवधि के दौरान निर्यातकों पर किसी ऐसे दबाव को नहीं दर्शाता है जो वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की किसी संभावना को इन्कार करता हो।
- च. यह कि घरेलू उद्योग पूर्व में पाई गई प्रतिकूल स्थिति से पूर्णरूप से उबर गया है और घरेलू उद्योग बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को इस प्रकार के परिदृश्य में समाप्त होने दिया जाना चाहिए। वास्तव में, घरेलू उद्योग अपनी अतिरिक्त क्षमता को शामिल करने के लिए और अधिक संरक्षण की मांग कर रहा है ताकि वे निर्यात बाजार का लक्ष्य बना सकें जो पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

80. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

- क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने नियम 16 के संबंध में प्रकटन विवरण में सभी आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया गया था कि उनके द्वारा अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नियम 16 के संबंध में प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के रूप में रिकार्ड नहीं किया जाता है। इस कारण से घरेलू उद्योग का यह तर्क कि प्राधिकारी ने आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं किया है तथ्यों और कानून की गलत व्याख्या के आधार पर है क्योंकि नियम 16 का पूरा उद्देश्य नियम 17 के संबंध में इसके अंतिम निष्कर्ष के लिए आवश्यक माने गए प्राधिकारी द्वारा जुटाए गए सभी तथ्यों को प्रकट करना है।
- ख. इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि नियम 16 के अंतर्गत प्रकटन का उद्देश्य और लक्ष्य प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्राप्त करना और इस प्रकार की टिप्पणियों के आधार पर उसमें आवश्यक परिवर्तन करना है। अपने कानूनी प्रतिनिधि अथवा प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा घरेलू उद्योग के अनुरोध से यह भी नोट किया जाता है कि वे प्राधिकारी से यह चाहते हैं कि वे शुल्कों को बढ़ाये जाने के संबंध में अपने निर्णय की सूचना दें। उन्होंने तय किए गए सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन जैसी सूचना भी प्राप्त करने की कोशिश की है जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई गोपनीय सूचना से प्राधिकारी द्वारा उपयोग की गई सूचना की गोपनीयता का संरक्षण करने के उद्देश्य से प्राधिकारी की एक निर्धारित प्रथा के रूप में हितबद्ध पक्षकारों को कभी भी प्रकट नहीं किया गया था। इस कारण से यह व्याख्या जिसे घरेलू उद्योग द्वारा सहारा लिया जा रहा है कि प्रकटन विवरण अंतिम जांच परिणाम का सटीक प्रतिलिपि होना चाहिए, से प्रकटन विवरण का लक्ष्य और उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा, इस प्रकार की व्याख्या नियमावली में बिना किसी आधार के है और साथ ही सांविधिक व्याख्या के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध भी है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग द्वारा नियम 16 के बारे में दी गई व्याख्या न तो कानूनी रूप से और न ही तार्किक रूप से सही है।
- ग. याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर उसका समाधान किया गया है। इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन के मामलों और सेसटेट तथा उच्च न्यायालयों के निर्णय जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के मामले और माननीय उच्च न्यायालयों और सेसटेट के फैसलों जिसका उल्लेख घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है, की वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों पर उसी समय पर समान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्राधिकारी ने नियम 16 के संबंध में मान्य आवश्यक तथ्य के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सभी आवश्यक तथ्य प्रकट किए हैं।

- घ. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के संबंध में अनुरोधों के बारे में "प्राधिकारी अंतिम निर्धारण किए जाने के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के बारे में सूचना देंगे जो इस निर्णय का आधार बनेगा कि क्या निश्चयात्मक उपाय लागू किया जाए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में अपने निष्कर्ष के लिए विचार की जाने वाले सभी आवश्यक तथ्यों को उचित रूप से प्रकट किया है।
- ङ. घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए कुछ अनुरोधों पर विचार नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के सभी अनुरोधों पर विचार किया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग शुल्कों को बढ़ाये जाने के बारे में प्रकटन विवरण में अंतिम निष्कर्ष की अपेक्षा कर रहे हैं, जो इस नियमावली द्वारा कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है। इस कारण से, घरेलू उद्योग के अनुरोध में कोई दम नहीं है कि प्राधिकारी को प्रकटन विवरण के चरण में शुल्कों का विस्तार किए जाने पर अपने निर्णय को प्रकट करना चाहिए। यहां यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद और अंतिम निर्धारण किए जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तथ्यों और आंकड़ों के संबंध में अपने आप को संतुष्ट करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।
- च. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में तथ्यों के बारे में यह नोट किया जाता है कि उसे अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से रिकार्ड कर लिया गया है और इस कारण से घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार के कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता है।
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष को प्रकट नहीं कर, प्रकटन विवरण का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, यह नोट किया जाता है कि इन तथ्यों को सत्यता और पूर्णता को तय किए बिना किसी निष्कर्ष को प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा जो अंततोगत्वा इस निष्कर्ष का आधार बनेगा। इसके अलावा, अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करना नियम 17 का एकमात्र उद्देश्य समाप्त हो सकता है और प्रकटन विवरण के चरण में इस प्रकार की सूचना को प्रकट करने से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 16 का लक्ष्य और उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। अगर सही कहा जाये तो इस कारण से नियम 16 ने प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन केवल आवश्यक तथ्यों को प्रकट करने का प्रावधान उपलब्ध कराया है जो इसके निर्णय का आधार बनेगा।
- ज. घरेलू उद्योग के इस अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांचों में कारणात्मक संबंध के विश्लेषण की संगतता के संबंध में इसके अनुरोधों की जांच नहीं की है। यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण का उद्देश्य प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए गए तथ्यों की उपयुक्तता पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए है और नियम 17 के अंतर्गत जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर जांच की गई है।
- झ. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने शुल्कों को समाप्त किए जाने के बाद की स्थिति को नजरअंदाज किया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अपने निर्धारण को आधारित किया है। उसे उपयुक्त रूप से प्रकटन विवरण में प्रकट किया गया है। इस कारण से घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि प्राधिकारी ने समाप्ति के बाद की स्थिति को नजरअंदाज किया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
- ञ. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, उनके बाजार हिस्से, लाभप्रदता को नुकसान पहुंचेगा, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर और उक्त अनुरोधों के कानून और तर्क को समझने के बाद अपने निर्णय को आधारित किया है। इस कारण से यह कहना सही नहीं होगा कि प्राधिकारी ने शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति के संबंध में तथ्यों को नहीं समझा है।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वतंत्र रूप बिक्री योग्य क्षमताओं के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थान पर स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं का उपयुक्त रूप से विश्लेषण किया है।

- ठ. अतिरिक्त क्षमता और लागत पर इसके प्रभाव तथा संभावना के संबंध में इन अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर इस मुद्दे का निवारण किया है।
- ड. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्याप्त रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में आयातों से इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर इसका विश्लेषण किया गया है।
- ढ. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सृजित अतिरिक्त क्षमताओं को सुरक्षित नहीं रखना है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य एक समान अवसर सृजित करना है और निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी का दायित्व पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करना है। उसको देखते हुए, हितबद्ध पक्षकारों का तर्क उचित नहीं है।
- ण. भारत में अतिरिक्त क्षमताओं को परिवर्तित किए जाने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी केवल अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता पर अपने निर्धारण को आधारित नहीं करेंगे। इसके अलावा, अतिरिक्त क्षमताओं की जांच अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर पहले ही की जा चुकी है।
- त. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग प्रतिकूल स्थिति से पूर्णरूप से उबर गया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर उसका विश्लेषण किया है।

ड. दिनांक 11 जनवरी, 2019 के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व के निष्कर्ष और सिफारिशें

81. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी ने पूर्व में यह निष्कर्ष निकाला था कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक नहीं है और तदनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के समय-विस्तार की सिफारिश नहीं की। घरेलू उद्योग के वित्तीय एवं आर्थिक मापदंड (मात्रा और कीमत दोनों) स्थिर हैं और इनमें गिरावट नहीं देखी जा रही है जिसके कारण पाटनरोधी शुल्क का विस्तार अपेक्षित हो।

ढ. सेस्टैट में चुनौती और सेस्टैट के आदेश

82. दिनांक 11 जनवरी, 2019 के उपर्युक्त जांच परिणामों को घरेलू उद्योग द्वारा इस अधिनियम की धारा 9ग के अंतर्गत अपील में चुनौती दी गई थी।
83. माननीय सेस्टैट ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार टिप्पणी की:

19. पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के मुद्दे पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की कि यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध देश के निर्यातकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं को पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में भेजा जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि संबद्ध देश में अपर्याप्त मांग और उपयोग न की गई क्षमता का उपयोग भारत में वस्तुओं को पाटित करने के लिए किया जाएगा, ऐसे देश से निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाने के लिए एक कारक नहीं हो सकता। इसके अलावा, उन्होंने यह टिप्पणी की है कि संबद्ध वस्तुओं पर यूएसए, कनाडा और यूरोपीय यूनियन द्वारा निर्यात प्रतिबंध एशिया को एक मात्र उपलब्ध बाजार बनाएगा और इन वस्तुओं को भारत में पाटित किया जाएगा, साक्ष्य के अभाव में, इसके फलस्वरूप निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। चीन में शुरू किए गए पाटनरोधी उपाय और चीनी ताइपेई से निर्यातकों के लिए इसके बाजार के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि इन जांचों के तथ्य और परिस्थिति अलग-अलग हैं, इस कारण से वर्तमान मामले में निर्णय लेने में उसे समान नहीं माना जा सकता है। उसने यह भी टिप्पणी की है कि चूंकि एशिया ट्रांसपोर्ट का केन्द्र है और यह चीनी ताइपेई के माध्यम से होता है अतः इस इसे कमतर शिपिंग लागत का लाभ मिलता है और भारी मात्रा में शिपिंग को उनके विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने यह टिप्पणी की है कि एक बाजार के रूप में भारत का महत्व इस तथ्य से और

अधिक स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मांग में वृद्धि हो रही है और इसके बढ़ने की आशा है, इस कारण से शुल्क को समाप्त करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने अंतिम रूप से यह टिप्पणी की है कि इन आयातों के कारण पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

20. दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 15-25 प्रतिशत के दायरे में किया गया जब ये शुल्क लागू थे। इस प्रकार, शुल्क के समाप्त होने की संभावना है, इन वस्तुओं का पाटन आगे और अधिक होगा। यह उनका तर्क है कि घरेलू उद्योग ने न केवल इस अवधि के दौरान जब पाटनरोधी शुल्क लागू है, पर्याप्त लाभ अर्जित किया था क्योंकि उन्हें आयात की गई वस्तुओं की पहुंच कीमत के साथ बिक्री कीमतों के अनुरूप और उसे प्रबंधित करना था, यद्यपि बाजार हिस्से में मामूली तौर पर सुधार हुआ है। यह उनका तर्क है कि लाभ बहुत कम अर्थात् 2 प्रतिशत है जबकि लगाई गई पूंजी पर लाभ जांच की अवधि के दौरान केवल 5 प्रतिशत है, जब इस प्रकार के लाभ पर 22 प्रतिशत के लाभ को सामान्य माना जाता है। इसके अलावा, उन्होंने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की स्थिति में, भारत में आयातक के पास पाटन किए जा रहे आयातित उत्पाद के लिए स्पष्ट अधिमान्यता होगी जिसके फलस्वरूप आयात में अचानक वृद्धि होगी। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में कुछ मोर्चे पर मामूली सुधार हुआ है लेकिन यदि शुल्क को वापस ले लिया जाता है तब उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव तात्कालिक होगा और जो भी लाभ प्राप्त हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, वैकल्पिक बाजार के अभाव में विदेशी निर्यातकों के पास अतिरिक्त क्षमता पर बल देते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि यह शुल्क की समाप्ति पर भारत में वस्तुओं के पाटन में वृद्धि की संभावना के पक्ष में पर्याप्त संकेतक है।
21. हम आवेदक के लिए अधिवक्ता के इस तर्क में आधार पाते हैं। हमारी दृष्टि से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त किए जाने के बाद पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना के निर्धारण में निर्दिष्ट प्राधिकारी के दृष्टिकोण में एक मौलिक दोष है। इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विगत और वर्तमान परिस्थितियों का साक्ष्य भविष्य में पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक उसी परिदृश्य के जारी रहने का उचित और तार्किक निर्धारण पर पहुंचने के लिए संगत और आवश्यक है। हालांकि, शुल्क के समाप्त होने पर भविष्य में पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए भावी परिस्थितियों के संबंध में सकारात्मक साक्ष्यों पर जोर देना अव्यवहारिक और अतार्किक भी है। उपर्युक्त विभिन्न देशों द्वारा निर्णायक समीक्षा की कार्यवाई में अपनाई गई पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं: उनके से कुछ, वर्तमान पाटन और क्षति, बहुत अधिक उत्पादन क्षमता और निर्यातकों की मालसूची, अन्य देशों में ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए अवरोधों का होना, समीक्षा कार्यवाई में भाग लेने के लिए प्रतिवादियों की असफलता, निर्यातक के घरेलू बाजार में गिरती हुई मांग, निर्यातकों द्वारा निर्यात बाजार पर बहुत अधिक हद तक निर्भरता आदि। हम यह भी पाते हैं कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के अंतर्गत अधिक अथवा एक जैसे मानदंड दृष्टिगत हो रहे हैं।
22. इस बैंक-ड्रॉप में, हम पाते हैं कि अपील कराने वाले घरेलू उद्योग तर्कसंगत तरीके से वर्तमान और विगत साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित कर सकते हैं कि इनमें से अधिकांश मानदंडों को वर्तमान जांच में पूरा किया गया है। पाटन मार्जिन 10-15 प्रतिशत के दायरे में है और यह सकारात्मक और न्यूनतम से अधिक है। पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग की आय मामूली 2 प्रतिशत है और पूंजी पर लाभ 22 प्रतिशत के सामान्य लाभ की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत है। पाटनरोधी शुल्क के बिना आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम है। अपील करने वाले यह दर्शाने में सक्षम थे कि घरेलू बाजार में लगभग 17,216 मी.टन की मांग है जबकि विदेशी निर्यातकों की आदर्श क्षमताएं लगभग 24,376 मी.टन है। निर्याति प्रतिबंध अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों अर्थात् यूएसए, कनाडा और यूरोपीय यूनियन में संबद्ध वस्तुओं पर लगाया गया है और इससे केवल एशिया में प्रमुख बाजार को छोड़ दिया गया है। प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की सूची में चीन जन.गण. को जोड़े जाने में संबद्ध वस्तुओं का प्रतिबंध भारतीय बाजार में अपना रास्ता तलाश करेगा। भारतीय बाजार में इस अर्थ में वृद्धि हो रही है कि प्रति

कैपिटल खपत सरफैक्टेंट में वृद्धि होने की आशा है। इसके अलावा, वे यह दर्शा सकते हैं कि चीनी ताइपेई से अन्य देशों में निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है। इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि पाटनरोधी शुल्क को प्रस्तावित रूप से जारी रखने पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा भाग नहीं लिया गया है/उत्तर नहीं दिया गया है। इस कारण से, इन सभी मानदंडों जिन्हें सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-II(vii) के अनुरूप भी है, पर संचयी रूप से विचार करते हुए, निष्पत्ति समीक्षा कार्यवाई में हमारा यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने पर, घरेलू उद्योगों को पाटन और क्षति के फिर से जारी रहने की संभावना होगी।

84. जबकि माननीय सेस्टेट का उक्त निर्णय 28.11.2019 को आया, पाटनरोधी शुल्क जिसे पहले दिनांक 16.01.2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 05/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था, पहले ही दिनांक 15.01.2019 को समाप्त हो गया था। इसके फलस्वरूप एक अंतराल आया और उसके देखते हुए स्पष्टीकरण माननीय सेस्टेट से यह स्पष्ट करने के लिए विविध आवेदन देकर मांगा गया था कि क्या पाटनरोधी शुल्क मौजूदा शुल्क की समाप्ति के बाद शुल्क के समय विस्तार के संबंध में फोरेक इंडिया लि. बनाम निदिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए मूल शुल्क अधिसूचना के समाप्त होने के बाद लगाया जा सकता है। उक्त निर्णय में यह माना गया है कि “इस अधिनियम ने आरंभिक पांच वर्ष की लेवी के समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निष्पत्ति समीक्षा को पूरा करने के लिए अवधि निर्धारित की है और यही एक वर्ष की अवधि है जिसे सरकार को इस दृष्टिकोण के लिए आधार बनना चाहिए कि शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा फिर होगी। इस कारण से, उसी अवधि के भीतर यह है कि इसका समय विस्तार अर्थात् पूर्व शुल्क अथवा इसके संशोधित रूपांतर की निरंतरता को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए तोड़े बिना किया जा सकता है...”

85. माननीय सेस्टेट दिनांक 21 फरवरी, 2020 के अपने विविध आदेश सं. 50114/2020 के संदर्भ में स्पष्टीकरण के लिए 2020 के विविध आवेदन सं. 50109 का निस्तारण किया और निम्नानुसार माना:

“25. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय का फोरेक इंडिया में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त निर्णय निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल निर्धारण और न कि उस निर्धारण से संबंधित है जब अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इसे पुनः प्रेषित किया जाता है। आयातकों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के तर्क को भी उस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

26. तदनुसार इस आवेदन को उपर्युक्त स्पष्टीकरण के साथ निस्तारित किया जाता है।”

86. प्राधिकारी ने अनुबंध-II के पैरा (vii) तथा माननीय सेस्टेट द्वारा दिनांक 28.11.2019 के इसके आदेश के संदर्भ में की गई टिप्पणियों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की फिर से जांच की है।

ग. निष्कर्ष

87. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और निर्णय में माननीय सेस्टेट की टिप्पणियां और विश्लेषण जिसे पाटन और परिणामी क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में ऊपर में दिए गए अनुसार रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें माननीय सेस्टेट ने नीचे दिए गए अनुसार माना है, पर विचार करते हुए:

पैरा 21 “हालांकि, शुल्क के समाप्त होने पर भविष्य में पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए भावी परिस्थितियों के संबंध में सकारात्मक साक्ष्यों पर जोर देना अव्यवहारिक और अतार्किक भी है।”

पैरा 22. इस बैक-ड्रॉप में, हम पाते हैं कि अपील करने वाले घरेलू उद्योग तर्कसंगत तरीके से वर्तमान और विगत साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित कर सकते हैं कि इनमें से अधिकांश मानदंडों को वर्तमान जांच में पूरा किया गया है। पाटन मार्जिन 10-15 प्रतिशत के दायरे में है और यह सकारात्मक और न्यूनतम से अधिक है। पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग की आय मामूली 2 प्रतिशत है और पूंजी पर लाभ 22 प्रतिशत के सामान्य लाभ की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत है। पाटनरोधी शुल्क के बिना आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम है। अपील करने वाले यह दर्शाने में सक्षम थे कि घरेलू बाजार में लगभग 17,216 मी.टन की मांग है जबकि विदेशी निर्यातकों की आदर्श क्षमताएं लगभग 24,376 मी.टन है। निर्याति प्रतिबंध अन्य अंतर्राष्ट्रीय

बाजारों अर्थात् यूएसए, कनाडा और यूरोपीय यूनियन में संबद्ध वस्तुओं पर लगाया गया है और इससे केवल एशिया में प्रमुख बाजार को छोड़ दिया गया है। प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की सूची में चीन जन.गण. को जोड़े जाने में संबद्ध वस्तुओं का प्रतिबंध भारतीय बाजार में अपना रास्ता तलाश करेगा। भारतीय बाजार में इस अर्थ में वृद्धि हो रही है कि प्रति कैपिटव खपत सरफैक्टेंट में वृद्धि होने की आशा है। इसके अलावा, वे यह दर्शा सकते हैं कि चीनी ताइपेई से अन्य देशों में निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है। इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि पाटनरोधी शुल्क को प्रस्तावित रूप से जारी रखने पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा भाग नहीं लिया गया है/उत्तर नहीं दिया गया है। इस कारण से, इन सभी मानदंडों जिन्हें सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-II(vii) के अनुरूप भी है, पर संचयी रूप से विचार करते हुए, निर्णायक समीक्षा कार्यवाई में हमारा यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने पर, घरेलू उद्योगों को पाटन और क्षति के फिर से जारी रहने की संभावना होगी, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है।
- ii. ये आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत से कम हैं।
- iii. विदेशी निर्यातकों के पास निष्क्रिय क्षमता बहुत अधिक है और यह भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग से अधिक है।
- iv. अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों अर्थात् यूएसए, कनाडा और यूरोपीय यूनियन और अब चीन जनगण में संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंध के कारण, संबद्ध वस्तु संभवतः भारतीय बाजार में अपनी जगह तलाश करेंगे।
- v. भारतीय बाजार में इस अर्थ में वृद्धि हो रही है कि प्रति व्यक्ति खपत सरफैक्टेंट में वृद्धि होने की आशा है। इसके अलावा, चीनी ताइपेई से अन्य देशों को निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है।
- vi. पाटनरोधी शुल्क को प्रस्तावित रूप से जारी रखने पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा भाग नहीं लिया गया है/उत्तर नहीं दिया गया है।
- vii. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर रिटर्न पीओआई के दौरान मामूली 5% है।
- viii. शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।

88. माननीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियों के अनुसार, इन सभी मानदंडों पर संचयी रूप से विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन के फिर से होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

त. सिफारिशें

89. लागू वर्तमान शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, पाटन के जारी रहने/फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की फिर से जांच करने के बाद, माननीय सेस्टेट के निदेशों और पूर्ववर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने की सिफारिश करते हैं। प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जा रही कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और इस प्रकार से सिद्ध किए गए क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को नीचे दी गई तालिका में वर्णित रूप में और तरीके से क्षति समाप्त की जा सके। इस प्रकार, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर यथा-संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करने के लिए इसे आवश्यक मानते हैं।

शुल्क तालिका

क्रस.	प्रशुल्क शीर्षक*	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	माप की इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2907 13 00	नोनाइल फिनोल	चीनी ताइपेई	कोई भी	कोई भी	52.56	यूएस डा.	मी.टन
2	2907 13 00	नोनाइल फिनोल	चीनी ताइपेई के अलावा कोई भी देश	चीनी ताइपेई	कोई भी	52.56	यूएस डा.	मी.टन

थ. आगे की प्रक्रिया

90. केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, जो इस सिफारिश के कारण उत्पन्न हो सकती है, धारा 9ग सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2021

Subject: Final Findings in the Second Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of Nonyl Phenol originating in or exported from Chinese Taipei – CESTAT Remand Case.

F. No. 7/20/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Anti-Dumping Rules or Rules), the Director General (hereinafter also referred to as the Authority) had initiated 2nd sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of 'Nonyl Phenol' (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject country).

A. BACKGROUND

- Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from Chinese Taipei was initiated by the Authority on 29th June, 2006. The Authority, vide Final Findings No. 14/13/2005-DGAD, dated 25th June, 2007, recommended imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject country, which was given effect to vide Notification No. 94/2007 – Customs dated 22nd August, 2007.
- Whereas upon expiry of applicable duties at five years, the Authority initiated a sunset review, and vide Final Finding Notification No. 15/1007/2012-DGAD dated 8th November, 2013 recommended continuation of duty. The findings of the Authority were implemented by the Ministry of Finance (TRU) vide Notification No. 5/2014 dated 16th January, 2014.
- Whereas M/s SI Group India Private Limited (hereinafter also referred to as the petitioner) filed an application requesting initiation of sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed and seeking continuation of duties against imports from Chinese Taipei. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.

4. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the second sunset review investigation vide Notification No. 7/20/2018-DGAD dated 12th June, 2018 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
5. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
6. Vide Final Findings Notification No. 7/20/2018-DGAD dated 11th January, 2019, the Authority concluded as under.

“i. The financial and economic parameters of Domestic Industry (both volume and price) are stable and not evidencing deterioration requiring extension of anti-dumping duty.

ii. The Petitioners have performed well during the injury period including the POI in terms of its financial parameters.

iii. Petitioners have not been able to establish likelihood of dumping and injury to the Domestic Industry in the event anti-dumping duty were to be revoked on the subject goods.

iv. Capacity, production, domestic sales and overall profitability of the industry do not indicate existence of injury or a deteriorated economic condition.

v. The factors submitted by the Petitioners on likelihood of recurrence of injury on withdrawal of ADD are not supported by the price realizations and price trends of the subject goods during the POI.”

The Authority, thus, found that the continuation of anti-dumping duty was not warranted and accordingly, did not recommend extension of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

7. The aforesaid findings dated 11th January, 2019 were challenged by the domestic industry in appeal under Section 9C of the Act. The Hon’ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) allowed the said appeal vide its Final Order No. 51566/2019 dated 28th November, 2019. The Hon’ble CESTAT examined the impugned findings of the Authority and evidence on record, and found that the conclusions reached by the Authority were not appropriate. Accordingly, Hon’ble CESTAT remanded the matter with a direction that DA shall analyse the relevant data and after determining the anti-dumping duty which needs to be levied on the subject goods when imported from Chinese Taipei recommend the same to the Government of India. The relevant extract of the decision of the Hon’ble CESTAT is reproduced below:

“24. In view of above, we do not agree with the conclusions and the recommendations of the Designated Authority dated 11.01.2019. The same is liable to be set aside and consequently we set aside the conclusions and recommendations and remand the matter to the Designated Authority to calculate the appropriate anti-dumping duty while taking note of overall circumstances of the case. Since, we have set aside the conclusions and recommendation of the DA on merit, hence discussion of other ancillary issues raised in the Appeal would be more of academic, hence not delved into.

25. In the result, the Appeal is allowed and the matter is remanded with a direction that DA shall analyse the relevant data and after determining the anti-dumping duty which needs to be levied on the subject goods when imported from Chinese Taipei, recommend the same to Government of India. The Miscellaneous Applications stand disposed of accordingly.”

8. While the said decision of Hon’ble CESTAT came on 28.11.2019, the anti-dumping duty which was earlier imposed through Customs Notification no. 05/2014-Cus (ADD) dated 16.01.2014 had already expired on 15.01.2019. This resulted in a gap and in view of the same a clarification was sought from Hon’ble CESTAT by moving miscellaneous application to clarify that whether anti-dumping duty can be imposed after expiry of original duty notification in view of decision of the Hon’ble Delhi High Court in the matter of **Forech India Ltd Vs Designated Authority** with regard to extension of duty after expiry of existing duty. In the said judgement it has been held that “.... the Act has fixed a period

for completion of Sunset Review within one year from the date of expiry of the initial five year levy and it is in this one year period that the Government must form a view that the cessation of duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Therefore, it is only within this period that it may extend i.e. without breaking the continuity of the previous duty or its modified version, for a further period of five years”

9. The Hon’ble CESTAT vide its Miscellaneous Order No. 50114/2020 dated 21st February, 2020 disposed the Miscellaneous Application No. 50109 of 2020 for clarification and held as under:

“25. In this view of the matter, the decision of the Delhi High Court in Forech India would not be applicable to the facts of the present case in as much as the said decision relates to the original determination by the Designated Authority and not to a determination when a remand is made by the Appellate Tribunal. The contention of the learned Counsel appearing for the importers cannot also be accepted for the same reason.

26. The Application, accordingly, stands disposed of with the aforesaid clarification.”

10. The present findings are therefore being issued pursuant to the orders of the Hon’ble CESTAT dated 28th November, 2019, and 21st February, 2020.

B. PROCEDURE

11. The procedure described herein below had been followed by the Authority with regard to the subject investigations before it was challenged in the CESTAT:

- i. The Director General, under the Anti-Dumping Rules, received a written application from the petitioner on behalf of the domestic industry, requesting for continuation of anti-dumping duties against the imports of subject goods from Chinese Taipei.
- ii. On receipt of a duly substantiated application, the Authority issued Initiation Notification No. 7/20/2018-DGAD dated 12th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating second sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods originating in or imported from Chinese Taipei.
- iii. The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the sunset review investigations in accordance with Rule 6(2) along with the copy of the initiation notification and non-confidential version of the petition.
- iv. The Authority forwarded copies of the Notification to the following known producers / exporters in the subject country (whose names and addresses were made available to the Authority by the petitioner) and provided opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2) and Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.
 - a. Formosan Union Chemical Corporation, 14F, No. 206, Nanking East Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan.
 - b. China Man Made Fibre Company, 10F, No. 50, Sec. 1, Hsin Sheng Road, Taipei, Taiwan.
- v. Whereas none of the producer/ exporters have filed a response to the exporters’ questionnaire.
- vi. The Authority forwarded copy of Notification to the following known importers/ consumers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter, in accordance with the Rule 6(4):
 - a. India Glycols Limited
 - b. M/s Micro Inks Limited
 - c. Manali Chemicals
 - d. M/s C.J. Shah & Company
 - e. Leo Chemoplast Pvt. Ltd.
 - f. Lexicon Chemicals Pvt. Ltd.
 - g. Akshya Industries

- h. Samnman Trade Impex Pvt. Ltd.
- i. M/s Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd.
- j. M/s Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
- k. Star Orechem International Pvt. Ltd.
- l. Jay Chemical Industries Ltd.
- m. Unitop Chemicals P. Ltd.
- n. Indian Chemicals Council

Only one user, namely, M/s India Glycols Limited filed the response to the users' questionnaire and also participated in the oral hearing and subsequently filed written submissions.

- vii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is January – December, 2017 (12 months). However, injury analysis period covers 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.
- viii. Transaction-wise imports data for the period of investigation and preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the same has been relied upon for the purpose of analysis in this investigation.
- ix. The submissions made by interested parties have been made available in the public file and also addressed appropriately in this final findings. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- x. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible, on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules, to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods.
- xi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 5th September, 2018. The parties were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. The Government of Chinese Taipei, through the Taipei Economic and Cultural Centre in New Delhi also participated in the oral hearing and subsequently filed written submissions.
- xii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final findings.
- xiii. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final findings to the extent possible and verified the data / documents given by the domestic industry to the extent considered relevant and necessary.
- xiv. A Disclosure Statement was issued on 24.12.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 02.01.2019 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xv. Information provided by the interested parties on confidential basis were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.

- xvii. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xviii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1US\$= Rs. 66.07.
- xix. In compliance with the direction of the Hon’ble CESTAT, the Authority has determined the appropriate amount of anti-dumping duty, after re-analysing the relevant data as per CESTAT orders.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Views of the domestic industry

- 12. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - a. The product under consideration for the purpose of the present investigation is the same as in the earlier investigations, that is, Nonyl Phenol, which is also known as Para Nonyl Phenol.
 - b. It is a clear viscous liquid without sediments. The chemical formula and structure of Nonyl Phenol is $C_{15}H_{24}O$. It is produced from alkylation reaction of phenol with nonene.
 - c. As noted in the previous investigations, the product produced by the petitioning domestic industry is like article to that imported from the subject country.

Views of the opposing interested parties

- 13. No submissions were made by the other interested parties with regard to the product under consideration or like article.

Examination by the Authority

- 14. The product under consideration in the present sunset review investigation is Nonyl Phenol, commonly known as Para Nonyl Phenol.
- 15. Nonyl Phenol is a clear viscous liquid without sediments. The chemical formula and structure of Nonyl Phenol is $C_{15}H_{24}O$. It is used in the manufacture of nonyl phenol-ethylene oxide condensates for application as non-ionic surfactants after subsequent sulphonation, of oil soluble phenolic resin, of derivatives applied as corrosion inhibitors in lubricating oils and of ingredients for agro-chemical formulations. It is also used in flame-retardants and plasticizers.
- 16. Nonyl Phenol is classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 under the tariff code 2907 13 00. It is noted from the DGCI&S data that the product is also imported under other tariff codes. However, classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the investigation.
- 17. The Authority notes that none of the interested parties have contested the meaning and scope of the product under consideration and the present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the earlier investigations.
- 18. With regard to like article, as noted in the earlier investigations, there are no significant differences in the subject goods produced by the Indian industry and that exported from the subject country. They are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties have disputed the claims made by the domestic industry in this regard.
- 19. The subject goods produced by the petitioner companies are being treated by the Authority as like article to the subject goods imported from the subject country, within the meaning of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Views of the domestic industry

- 20. The domestic industry submitted as follows with regard to scope of domestic industry and standing:
 - a. The application was filed by M/s SI Group India Private Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods.

- b. The applicant accounts for 100% of the domestic production. Therefore, the applicant company constitutes eligible domestic industry, as defined in Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.
- c. The applicant is not related to a producer/exporter of the product under consideration in subject country or an importer in India.

Views of the opposing interested parties

21. No submissions were made by the other interested parties with regard to the domestic industry or its standing.

Examination by the Authority

22. The petition has been filed by M/s SI Group India Private Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India, accounting for 100% production of the subject goods. The applicant certified that it is not related to any producer or exporter of the product under consideration in subject country or an importer in India. Further, the applicant certified that it had not imported the subject goods into India. The Authority, therefore, considers that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

Views of the domestic industry

23. With regard to confidentiality, the data of the domestic industry has been adequately disclosed as trends, consistent with the requirements of Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018. As regards the normal value, same being based on the cost of production of the domestic industry cannot be disclosed.

Views of the opposing interested parties

24. In view of excess confidentiality claimed by the domestic industry, it is very difficult to analyze whether the imports of product under consideration are on account of a demand supply gap.
25. The claims of confidentiality by the domestic industry are against the provisions of the Anti-Dumping Rules and without any justifiable reason. Instances of confidentiality are wages, constructed normal value, raw material, landed price, profit /loss trend, cost of production, net selling price.

Examination by the Authority

26. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows: -

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the Designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the Designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The Designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the Designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

27. The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down at Rule 16 of the Anti-Dumping Rules. Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to “respective interested parties” only, while non-confidential facts are required to be disclosed to all interested parties. At no stage the Director General is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests.

28. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Views of the opposing interested parties

29. The following other miscellaneous submissions have been raised by the opposing interested parties:

- a. The domestic industry has not established that the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping as well as injury. The consequences of expiry of duty must be based on facts and not merely based on presumptions, assumptions and conjectures.
- b. The duties imposed on two major products of the company, Phenol and Nonyl Phenol have helped the domestic industry to perform well. The company is trying to create a monopolistic position in the market by enjoying the protection of anti-dumping duty.
- c. Anti-dumping duty on Phenol is allowing the domestic industry to gain an undue advantage in dumping the product under consideration in China PR. The compulsion of domestic industry to dump in foreign market is not understood, when they are performing well in the protected Indian market.
- d. The petitioner has made some self-serving sketchy analysis of potential impact of expiry of duty on them which is not of any basis. The DI is dumping the material in China PR and wants the duty in India to be continued so that they can control the export markets with a protected domestic customer base. As against the conclusions on likelihood drawn by the petitioner, it is our submission that expiry of duty will not lead to recurrence of any dumping and injury.
- e. The domestic industry is stage managing their business with the help of anti-dumping duty on the goods produced by them and is engaging in dumping in the foreign market, while the users have to pay more for the subject goods, leaving them uncompetitive in their business.
- f. The domestic industry has raised a legal argument on mandatory nature of sunset review, without mentioning the judgment of Hon'ble Delhi High Court. The party has no choice to ignore a binding judgment irrespective of their privileges to make submission of their choice.
- g. The petition does not contain any information to enable the Director General to decide that the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury.
- h. The intent of the domestic industry is to unfairly curb imports and monopolize domestic market in India.

Views of the domestic industry

30. Responding to the arguments of the opposing interested parties, the domestic industry submitted as follows:
- a. There is no basis in the allegation that the domestic industry is trying to create monopolistic position as the duty does not operate as a ban on imports.
 - b. In response to the contention of the interested parties that the domestic industry is gaining undue advantage due to duties in force against Phenol and Nonyl phenol, by dumping the subject goods in China, it was submitted that the argument was without merit. An anti-dumping duty levied by China on imports from India is based on their investigations and the facts pertaining to that country and therefore have no relevance to the present investigations as far economic parameters. In any case, there can be no benefit drawn by the petitioner from the duties imposed by China.
 - c. There is no evidence to show that the imposition of duty has rendered the users uncompetitive as their profits have increased during the period of investigation, when they had purchased the subject goods only from the domestic industry.

- d. The argument of the interested parties regarding claims as to compulsory initiation of sunset reviews was irrelevant, as the Director General had noted in the Initiation Notification that the Authority prima facie satisfied itself regarding likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

Examination by the Authority

31. The specific submissions made by the opposing parties and considered relevant, are addressed by the Authority as under:
 - a. The Authority notes that the law clearly envisages that the anti-dumping duty can be extended further from time to time, if it is found that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to recur in the event of cessation of anti-dumping duty. The Authority recommends anti-dumping duty only after following the requirements prescribed under the laws.
 - b. Insofar as the arguments regarding the monopolistic position of the domestic industry in the market is concerned, the Authority notes that the anti-dumping duty measure is to rectify unfair trade practices and the imposition of anti-dumping measures does not prevent or stop imports. The imports would continue to be available at fair prices and anti-dumping duty would help to maintain availability of wider choices to the consumers and to re-establish a situation of open and fair competition in the domestic market. Therefore, there is no question of monopoly of the domestic industry.
 - c. With regard to contention regarding the undue advantage taken by the domestic industry due to duties in force against phenol and Nonyl phenol in India, it is baseless and without any merits.

G. METHODOLOGY AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN

Views of the domestic industry

32. The domestic industry's submissions with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin are summarized below:
 - a. Since there is no response from any exporters, the normal value may be based on available facts and evidence.
 - b. To calculate the net export price, ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight should be adjusted.
 - c. The dumping margin is not only positive, but also significant. Further, the dumping margin calculated is higher than that in the earlier investigations.
 - d. There is continued dumping of the subject goods from the subject country, as noted in the earlier investigations and the dumping margin is positive over the entire injury period.
 - e. India being the biggest market for the exporters and the only reason that they have not cooperated in the present investigation is that they have absorbed the existing duties and are thus, indifferent to continuation thereof; or that they are aware that the dumping margin is actually higher.
 - f. In the case of Automotive Tyre Manufacturer's Association Vs. Designated Authority, the Tribunal held that normal value at the time of initiation can be determined on the basis of cost of production of domestic industry.

Views of the opposing interested parties

33. With regard to normal value, export price and dumping margin, the other interested parties submitted that the domestic industry has determined substantial dumping margin on a hypothetical basis and has failed to prove the likelihood aspect based on the dumping margin determined in the original investigation and the current investigation.

Examination by Authority

34. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, none of the producers/exporters from Chinese Taipei have filed the response to the questionnaire, therefore the Authority is constrained to proceed, based on the principles of best available information. Therefore, the normal value and export price are determined as under:

I. NORMAL VALUE

35. The Authority has determined the normal value on the basis of the best available information, in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. Accordingly, the normal value has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for raw materials and utilities, and best estimates of conversion costs, interest, selling, general and administrative expenses including reasonable profit on the cost of production.

II. EXPORT PRICE

36. The Authority has determined the export price in respect of imports from the subject country on the basis of best information available in accordance with the Rules. For this purpose, the Authority has adopted the transaction-wise data procured from the DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. The export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight expenses to determine ex-factory export price of the product under consideration.

III. DUMPING MARGIN

37. Considering the normal value and export price as above, the dumping margin for all exporters of the subject goods from the subject country is determined as below:

Particulars	Unit	Amount
Normal value	USD/MT	***
Export price	USD/MT	***
CIF	USD/MT	***
Dumping margin	USD/MT	***
Dumping margin	%	***
Dumping margin	Range	15-25%

38. It is seen that the dumping margin is positive and above the *de-minimis* levels.

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION**Views of the domestic industry**

39. The domestic industry has submitted as follows with regard to injury and causal link:
- There is continued injury to the domestic industry. While production, sales, capacity utilization of the domestic industry increased, resulting into increase in market share of domestic industry, this had been achieved at cost of reduced profitability, return on investment and cash profits.
 - The import volume in the period of investigation has dropped down as compared to preceding year, such decline is on account of the domestic industry constraining its prices to increase its sales. However, in the event of cessation of duties, the imports are likely to increase once again as the producers in the subject country are highly export oriented.
 - Despite the decline in imports, they occupy an important place in the market as they account for about one-fourth of consumption and are about one-third in relation to production.
 - In spite of the domestic industry selling below the fair selling price, the imports are undercutting its prices. This clearly brings out that in the event of cessation of anti-dumping duty, the imports are likely to continue undercutting the prices of the domestic industry.
 - The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. When compared to 2015-16, it would be seen that the cost of sales has not changed in the period of investigation. Nevertheless, the landed price of imports declined, compelling the domestic industry to reduce its prices as well.
 - The landed price of imports is much below the non-injurious price. In the event of cessation of duty, the imports are likely to enter the market at injurious prices.
 - While the production, sales and capacity utilization have increased, in order to achieve the increase in sales, the domestic industry has been forced to sell at non-remunerative prices.

- h. The capacity of the domestic industry is underutilized.
- i. While the market share of the domestic industry has increased, in the event of expiry of duty, the imports would increase and the domestic industry would lose its place in the market.
- j. Apart from underutilized capacity, the domestic industry has also suffered in terms of accumulation of inventories.
- k. The profits of the domestic industry peaked in 2015-16, but have declined thereafter.
- l. Likewise, the cash profits have declined by 60% and the return on investment of the domestic industry is one-third of the level in 2015-16.
- m. Throughout the injury period, the domestic industry has not been able to earn adequate profits or returns.
- n. There is no basis in the argument that if injury continues despite duties, it is self-inflicted. Such argument is contrary to facts, law and dumping margin in present and past cases. The fact that Section 9A (5) refers to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury makes it evident that the law recognizes that injury may continue despite duties.

Views of the opposing parties

40. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury are as follows:

- a. Decline in price of imports is in line with decline in cost of domestic industry.
- b. If the producers in Taiwan had unutilized capacities, the exports from Taiwan would not have declined.
- c. Share of import in relation to production and also consumption declined and there is no imminent likely injury on these parameters if the duties expire.
- d. Capacity utilization of domestic industry is not reflective of injury as the domestic industry has a common plant and plant utilization has improved.
- e. Decline in selling price was less than decline in cost, indicating that there was no price suppression. Further, the profitability of the domestic industry improved and the return on capital employed was in the range of 0-10%.
- f. The profitability of the domestic industry spiked in 2015-16, despite the import price showing a decline in the period.
- g. Productivity of the domestic industry has declined in the period of investigation.
- h. The data filed by the domestic industry demonstrates that there is no injury due to imports from the subject country.
- i. The amount of capacity remaining unutilized with the domestic industry cannot be a reason for continued imposition of duty.
- j. The petition shows no actual information about imports from subject country and therefore, claims of substantial market share held by the imports are not tenable.
- k. The market share of the domestic industry has increased.
- l. If the domestic industry has suffered injury after imposition of dumping, such injury is self-inflicted.
- m. Contrary to the guidelines under Anti-Dumping Agreement as well as Section 9A(5) regarding likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the domestic industry has claimed that imports have continued to be dumped in India. However, the data filed by the domestic industry shows that it is in a healthy and profitable state.
- n. The imports from Taiwan have declined during the period.
- o. The reason for the decline in capacity utilization is reduction in production of DOP.
- p. The domestic industry is earning more than reasonable return on investment and cash profits are higher during the period of investigation.
- q. The domestic industry has been able to earn non-injurious price during the period.

- r. The claims of the domestic industry as regards its installed capacity does not match its annual report.
- s. Since the domestic industry is captively manufacturing phenol, the actual cost of phenol should be charged to the cost of production of the subject goods.
- t. The non-injurious price needs to be determined as per para (4) of the Annexure – III to the Anti-Dumping Rules.
- u. Claims of decline in capacity utilization are erroneous as the domestic industry has been able to sell almost what it has produced.

Examination by Authority

41. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the other interested parties.
42. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
43. Rule 23 of the Rules provide that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
44. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. For this purpose, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization and the magnitude and margin of dumping in accordance with Annexure – II of the Rules.

I. ASSESSMENT OF DEMAND

45. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales and captive consumption of the applicant and imports from all sources. Exports made by the applicant have been excluded from the computation in order to ascertain apparent consumption. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of domestic industry	MT	8,250	8,702	10,100	12,632
Imports from subject country	MT	7,246	6,826	6,145	4,512
Imports from other countries	MT	45	1,265	970	285
Captive Consumption	MT	***	***	***	***
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	111	113

46. It is seen that the demand for the product under consideration has increased throughout the injury period.

II. VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS**i. Import volumes and market share of imports**

47. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Import Volume					
Subject country	MT	7,246	6,826	6,145	4,512
Other countries	MT	45	1,265	970	285
Total imports	MT	7,292	8,091	7,115	4,796
Subject Country Imports in relation to					
Indian production	%	81.01	62.00	53.21	32.39
Demand	%	46.62	40.65	35.70	25.89

48. It is seen that:

- Imports from the subject country have decreased throughout the injury period.
- Imports from subject country in relation to Indian production and consumption has also decreased with decrease in import volume.

III. PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS

49. With regard to the effect of the dumped imports on prices, lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub rule (2) of rule 18 the Director General shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

50. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Director General is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

51. In order to determine whether the imports are undercutting the prices, the domestic industry has given information for comparison between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. Accordingly, the domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Particulars	UOM	POI
Landed price of Imports	Rs/MT	96,361
Net sales realization of domestic industry	Rs/MT	***
Price Undercutting	Rs/MT	***
Price Undercutting	%	***
Price Undercutting	Range	0-10%
Average ADD	Rs/MT	16193
Landed Price after ADD	Rs/MT	1,12,554
Price Undercutting after ADD	Rs/MT	***
Price Undercutting after ADD	%	***
Price Undercutting	Range	NEGATIVE

52. It is noted that price undercutting is negative when calculated after taking into account the anti-dumping duty and is positive when calculated without anti-dumping duty. However, the difference is very minimal and is not considered to be creating any price pressure on the pricing process of the Domestic Industry

ii. Price Suppression and Depression

53. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the domestic industry has given information for the changes in the costs and prices over the injury period as below:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed price of Imports with ADD	Rs/MT	1,36,329	1,22,757	99,105	1,12,554
Trend	Indexed	100	90	73	83
Landed price of Imports without ADD	Rs/MT	1,20,136	1,06,564	82,912	96,361
Trend	Indexed	100	89	69	80
Cost of sales of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	69	79
Selling price of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	73	80

54. It is seen that the landed price (with ADD) of the imports is above the selling price as well as the cost of the Domestic Industry. It is also seen that the cost of sales, selling price and import price declined till 2016-17 as compared to the base year but the same increased in the period of investigation. However, comparison of landed value without taking into account anti-dumping duty shows that the import prices are lower than the selling price.
55. In order to properly evaluate whether there has been price suppression or depression, the Authority has also considered the cost to sales ratio over the injury period.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost to sales ratio	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	94	99

56. It is seen that the cost to sales ratio in the period of investigation is moving in the same band and therefore, cannot be considered to be having any negative impact on the Domestic Industry.

iii. Price Underselling or Injury Margin

57. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling.

Particulars	UOM	Chinese Taipei
Import Volume	MT	4512
Landed price of Imports with ADD	Rs/MT	1,12,554
Non-Injurious Price	Rs/MT	***
Price Underselling	Rs/MT	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	Range	(5-15)
Landed price of Imports without ADD	Rs/MT	96,361
Price Underselling	Rs/MT	***

Particulars	UOM	Chinese Taipei
Price Underselling	%	***
Price Underselling	Range	0-10%

58. From a comparison of the landed value with the non-injurious price, it is noted that the price underselling is positive without adding anti-dumping duties and negative after adding anti-dumping duties.

IV. ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY

59. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volumes

60. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	MT	24,315	24,315	24,315	24,315
Production	MT	8,945	11,008	11,550	13,928
Capacity Utilization	%	36.79	45.27	47.50	57.28
Domestic Sales	MT	8,250	8,702	10,100	12,632

61. It is seen that the capacity of the domestic industry has remained constant, while the production and capacity utilization of the domestic industry has increased throughout the injury period. The domestic sales of the domestic industry have also increased throughout the injury period.

ii. Market Share in Demand

62. The effects of the dumped imports on the market share in demand of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of Domestic Industry	%	53.08	51.82	58.67	72.48
Imports from Subject Country	%	46.62	40.65	35.70	25.89
Imports from Other Countries	%	0.29	7.53	5.63	1.63
Total Demand	%	100	100	100	100

63. It is seen that the market share of domestic industry has increased over the injury period, while the share of imports from the subject country in demand has declined throughout the injury period.

iii. Inventories

64. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Inventory as No. of days of Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	58	80	74

65. The Authority notes that the inventory as a number of days of production has decreased in the POI as compared to the base year.

iv. Profit or Loss, Cash Profits and Return on Investment

66. The profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry are as follows:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Profit/Loss	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,164	856	290
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,103	699	190
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	504	397	200
Return on Capital employed - NFA	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	935	998	291

67. It may be seen from the above table that the profits have decreased but are positive throughout the injury investigation period. As regards the trend relating to cash profit, it is noted that, it has increased and reached to a level of 200 during the POI as compared to the base year. The trend of Return on capital employed has also increased to a level of 291.

v. Employment, Wages and Productivity

68. The employment and wages are below:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	95	97
Wages per Unit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	99	102
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	135	161
Productivity	Kg/Person/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	135	160

69. It is seen that the number of employees has remained more or less constant throughout the injury period. The wages and wages per unit have remained in almost same region throughout the injury period. However, the productivity per employee and the productivity per day have increased throughout the injury period with the increase in production. However, they are not indicative of injury.

vi. Magnitude of Dumping

70. It is noted that the dumping margin is positive and above *de-minimis*.

vii. Growth

71. The Authority notes that the growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales volume, capacity utilization and market share is positive as well as growth in terms of profits, cash profits and return on investment are also positive throughout the injury investigation period.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**Views of the domestic industry**

72. The submissions made by the Domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:

- a. From the annual reports of the producers in the subject country, it is evident that the subject goods hold an important place for these exporters and that they are highly dependent upon exports.
- b. The domestic demand in the subject country is sufficient to utilize only 13% of the capacity of the producers therein.
- c. Further, nearly 40% of the capacities of the producers in the subject country are unutilized.
- d. The idle capacities of the foreign producers are 24,376 MT, which is sufficient to take over the Indian market, having a demand of only 17,215 MT.
- e. There are restrictions on the export of subject goods to other markets, including USA, Canada and European Union. Therefore, the producers in the subject country can find market only in Asia.
- f. While China PR was a major market for the producers in Taiwan, it imposed anti-dumping duty on the goods exported from Taiwan. It may be noted that China PR has initiated second sunset review in March, 2018 against the imports from Taiwan.
- g. Moreover, in 2011, China PR added the subject goods to the list of severely restricted toxic substances.
- h. Taiwan is a hub of Asian transportation routes, which allows it to enjoy certain geographical advantages in terms of lower shipping cost of bulk shipping.
- i. Other Asian countries such as Singapore and Malaysia do not offer a steady market for exports from the subject country.
- j. Contrary to the claims of the interested parties, Korea does not offer a significant demand for the subject goods.
- k. While the exports to USA have increased, the volume thereof is not comparable to the export volumes to India.
- l. With the loss of China PR as a market, the producers in the subject country suffered a setback as the exports thereto fell from around 15,000 MT in 2010 to around 1,500 MT in 2016 and 2017.
- m. Even with the decline in exports by 8,000 MT between 2010 to 2012, the exporters in the subject country nevertheless expanded capacity by 5,000 MT.
- n. The importance of India as a market is accentuated by the fact that the demand in India is a growing one, as the per capita consumption of surfactants is expected to increase.
- o. Imports to declined only because of the enhancement of duties.
- p. The exporters were dumping not only in the earlier investigations, but there is continued dumping over the entire injury period. In fact, the dumping margin is higher than that in the earlier investigation.
- q. 99% of the exports from Taiwan to other countries have been made at dumped prices. Further, the landed price of 87% of the exports is below the fair price, and 80% of the exports have been made at prices below the selling price in India. This brings out the pricing behavior of the exporters in that they resort to unfair competition.
- r. If the potential impact of expiry of duties is seen, it would be seen that the imports are likely to increase both in absolute terms, as well as in relation to production and consumption. Further, the imports are likely to undercut and suppress or depress the prices of the domestic industry. In such a situation, the sales and market share of domestic industry are likely to decline, forcing the domestic industry to reduce production. The lower capacity utilization and lower prices are also likely to impact the profitability of the domestic industry, and it is likely to be forced into losses.
- s. Responding to the allegations in this regard, it was submitted that the petitioner has provided all details establishing likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.

Views of the opposing interested parties

73. The submissions of the other interested parties, with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are summarized hereunder:
- a. The domestic industry has determined substantial dumping margin on a hypothetical basis and has failed to prove the likelihood aspect based on the dumping margin determined in the original investigation and the current investigation.
 - b. Domestic industry could not show any unutilized excess volume lying idle in Taiwan which may be diverted to India in the event of expiry of present duties. In fact, the petitioner claimed that the per capita consumption of surfactants in India is only 0.4Kg per person whereas the global average is 3.5Kg. This clearly shows that the subject goods which go into surfactants etc. will have a higher demand in rest of the world and it cannot be accepted that India is going to be the largest market for subject goods and Taiwanese exporters will send more material to India. Moreover, while the petitioner claims 39% idle capacity, the exports from Taiwan declined significantly in the last few years to India and also to the world. If the claims of such freely disposable capacities are true, then there was no reason for the exports to go down in the past few years. Taiwan exported much higher to India when AD duties were applicable in the past and the reduction in exports should be seen as a factor suggesting paradigm shift in the nature of exports to India from Taiwan which does not show any likelihood of dumping and injury.
 - c. It is claimed that the exporters of PUC in Taiwan are highly export oriented. The submission, however, does not establish likelihood as the exports from Taiwan to India and also world has decreased significantly in the last 4 to 5 years based on the data submitted by the petitioner itself. As against a claim of 54000 MT of exportable capacity, Taiwan was exporting less than 30000 MT in 2017 which shows the estimates given by the domestic industry are not reliable.
 - d. It is claimed that the exporters of PUC in Taiwan are impacted because of restrictions on use of nonyl phenol in various export market. The fact is that none of the countries have banned the use of nonyl phenol. In fact, the petitioner itself submitted that the world demand and also Indian demand for nonyl phenol will grow further. Certain regulations imposed on the use of the product are meant to avoid environmental issues and not to ban the product per se. Thus, the claims are unfounded.
 - e. Had India been a preferred destination, then export to India should have increased when the overall exports declined. In any case, exports to Korea, Malaysia, Singapore and USA increased substantially in this period, demonstrating that India is not the only location where demand is significant.
 - f. While the exports from Taiwan to world came down from 43,533 MT in 2010 to 29,264 MT in 2017, the exports to India came down from 7,477 MT to 4,893 MT. The trend of export to India is comparable to the rest of the world.

Examination by Authority

74. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case of cessation of anti-dumping duty, in terms of Annexure II (vii) of the Rules and other factors as below:
- a. In relation to the annual reports of the producers in the subject country, it is noted that there is no evidence to prove that the excess capacities will be diverted into India in the event of revocation of anti-dumping duties.
 - b. In relation to the domestic sufficient demand in the subject country and huge unutilized capacity, it is noted that in the absence of any evidence that the same will be utilized to dump goods into India, no adverse impact can be drawn against the exporters from subject country.
 - c. In relation to exports restrictions by USA, Canada and European Union and therefore, Asia being the only market available, it is noted that in the absence of any evidence that the same will be utilized to dump goods into India, no adverse impact can be drawn against the exporters from subject country.

- d. In relation to anti-dumping measures by China and its market share for exporters from Taiwan, it is noted that the facts and circumstances of both the investigations are different and therefore, both cannot be equated without appreciating the facts of that case.
- e. In relation to Taiwan being hub of Asian transportation routes, which allows their exporters to enjoy certain geographical advantages in terms of lower shipping cost of bulk shipping, it is noted that the same cannot be held against them.
- f. In relation to the submission of the Domestic Industry, that contrary to the claims of the interested parties, Korea does not offer a significant demand for the subject goods, it is noted that same do not have any impact on the financial situation of the Domestic Industry.
- g. That the importance of India as a market is accentuated by the fact that the demand in India is a growing one, as the per capita consumption of surfactants is expected to increase. Therefore, revocation of duties will have no adverse impact.
- h. From the above, it is noted that in case duties are revoked, it would be seen that the imports are not likely to increase both in absolute terms, as well as in relation to production and consumption.

J. CAUSAL LINK

Views of domestic industry

75. The submissions of the domestic industry, with regard to causal link are summarized hereunder:

- a. In case of a sunset review, there is no requirement to establish a causal link between likely dumping and likely injury.
- b. The injury to the domestic industry is not attributable to any other factor, and is attributable to dumping from the subject country.
- c. The causal link is evident from the fact that the market shares of imports declined only because domestic industry reduced its selling price to match the landed price of imports.
- d. Despite the decline, the imports continue to hold a major share of the market.
- e. The increased sales of the domestic industry came at the cost of reduced profitability.
- f. In the event of cessation of duty, the domestic industry is likely to suffer injury and its production, sales, capacity utilization, profits and other economic parameters are likely to deteriorate.

Views of the opposing parties

76. The submissions of the other interested parties, with regard to causal link are summarized hereunder:

- a. There is absence of causal link between the subject imports and the injury to the domestic industry.
- b. The profitability of the DI has shown some unusual spikes in the 2015-16 period. Profitability moved to a level of 1103 indexed points in 2015-16 from a 100 basis point. This shows the profitability is not directly driven by imports and such growths cannot be linked to import price. In fact, such profit was registered when the import price declined to Rs. 97/- per kg in 2015-16 from a level of Rs110/kg in the year 2014-15. This indicates existence of other reasons having a bearing on the performance of the DI which negates the causal link claims of the DI

Examination by the Authority

77. The Authority has examined the submissions on causal link as follows:

- a. In relation to the submission that in case of a sunset review, there is no requirement to establish a causal link between likely dumping and likely injury, it is noted that the Authority as a matter of practice examines causal link in sunset review investigation also.
- b. It is also noted that the performance of the Domestic Industry has improved, and price attractiveness of the Indian market is negative. Market shares of imports have also declined.
- c. From the above analysis that it is noted that there is nothing to suggest that the Domestic Industry will suffer injury in case duties ceased to exist.

K. POST –DISCLOSURE COMMENTS**Views of domestic industry**

78. The Domestic Industry submitted letters / emails dated 27th December, 2018 and 1st January, 2019 and also submitted comments on disclosure statement. The submissions made by the domestic industry are summarized hereunder:
- a. That the certain essential facts, which would form basis of the decision of the Designated Authority, have not been disclosed in the Disclosure Statement. In view thereof, Domestic Industry requested the Authority to disclose constructed normal value, dumping margin, conclusion of the Authority on likelihood of dumping, injury, causal link and facts of injury. It is further submitted that in the absence of adequate disclosure, the Domestic Industry is prevented from offering any meaningful comments.
 - b. That the Authority has not fulfilled the requirements of Rule 16 of the Customs Tariff Rules 1995. To substantiate their submissions, Domestic Industry has submitted certain WTO judgements and decisions of CESTAT and High Courts.
 - c. That the Authority should consider the communications sent directly by the petitioner company post issuance of disclosure statement.
 - d. That the Designated Authority may kindly seek extension of present anti-dumping duties as the period of existing duties are expiring soon. It is further submitted by the Domestic Industry that in the event the Authority decides to extend the period by five years, then in that case higher authorities would not be left with enough time to extend the period.
 - e. That the facts submitted by the Domestic Industry have not been properly appreciated in the disclosure statement, having regard to the totality of facts and circumstances. Therefore, the Domestic Industry has provided its own interpretation of the essential facts disclosed by the Authority in the disclosure statement.
 - f. That the as per Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement and Rule 16 of the Anti-Dumping Rules “the authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures.” Therefore, the Authority should have disclosed its conclusion in terms of causal link and likelihood of dumping and injury. Domestic Industry has cited WTO decisions and High Court decision in support of their contention.
 - g. That the Authority has not considered certain submissions made by the Domestic Industry in relation to intensified and continued dumping, price depression, reduced profitability, pricing behavior of exporters, potential volume and value impact on Domestic Industry and its profitability.
 - h. Similarly, Domestic Industry has submitted that the Authority has not examined its submission relating to relevance of causal link analysis in sunset review investigations. Therefore, Domestic Industry is not in position to offer its comments on the conclusion of the Authority.
 - i. That the domestic industry submits that the only reason for the exporters to not cooperate is either that they have been able to absorb the duties or that the actual dumping margin is in fact higher. Therefore, the non-cooperation of the exporters clearly demonstrates that the quantum of duties levied is in fact low and there is a need of continuation of duties.
 - j. That the Authority has overlooked the situation post expiry of the duties by merely comparing the injury parameters of POI by base year. It is also submitted that after revocation of duties, dumping will intensify and due to that pressure on the domestic prices will increase.
 - k. That although the domestic industry gained in terms of market share, its profitability has suffered. Therefore, if the duties will not be continued, the imports are likely to affect the economic and financial viability of the domestic industry.
 - l. That the Authority should consider freely disposable capacities present with the foreign producers, and their high export orientation and their exports to third country before it makes its final conclusion.

- m. That the Authority has not appreciated the fact that decline in import volume is due to the increased duties and exporters from subject countries are still dumping the subject goods in India. Further, Domestic Industry has submitted that the exporters of subject goods resort to dumping, in case duties are revoked.
- n. That since no conclusions have been drawn with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the Disclosure Statement, the domestic industry is at a loss to understand the facts being considered in totality by the Designated Authority. The domestic industry reserves its right to make further submissions once all essential facts have been disclosed having regard to the provisions of Rule 16 of the Anti-Dumping Rules.

Views of the opposing parties

79. The submissions of the other interested parties, made post disclosure are summarized hereunder:

- a. That as per the disclosure statement the domestic industry has a capacity of about 24,315 MT which is more than the demand in the country. Further, even assuming that Domestic Industry will cater complete demand in India, they will be left with unutilized capacity in the tune of 30%. Therefore, such unutilized capacity should not be considered to extend the anti-dumping period by further five years.
- b. That even after such excess capacities, and after segregation of performance into domestic and export, the Domestic Industry is doing substantially well. Therefore, the Domestic Industry is not vulnerable to any injury from imports in the event of expiry of present duties.
- c. That the purpose of anti-dumping duties is not to indemnify the excess capacities created by the Domestic Industry to cater to the foreign market. Further, the imports did not create any consequence on the performance of the Domestic Industry.
- d. That the present investigation being an SSR likely injury margin determined is very important which is seen as not substantial in the facts of the present case. The Domestic Industry has been performing well in the entire injury period and the trend just continues even after the POI.
- e. That the reduction in import coincided with decline in landed price was lower than the reduction in cost of Domestic Industry demolishes the theory of excess capacities in the subject country causing threat to the Domestic Industry. It is further submitted that if the theories of excess capacities waiting to be directed to India in the event of expiry of present anti-dumping duties were true, then India would have witnessed much higher imports at a lower price already with the given facts. The import price and volume during the injury period do not depict any such pressure on the exporters which rules out any likelihood of dumping and injury in the event of expiry of present duties.
- f. That the Domestic Industry has recovered fully from the adverse situation found earlier and the DI is fairly placed to compete in the market. It is also submitted that the current anti-dumping duties should be allowed to expire in such a scenario. In-fact the DI is seeking further protection to cover its excess capacity so that they can target the export market which is not the intended purpose of ADD.

Examination by the Authority

80. The examination of post-disclosure comments is as under:

- a. In relation to the submission made by the Domestic Industry that the Authority has not disclosed all the essential facts in the disclosure statement in terms of Rule 16, it is noted that it was not disputed by the Domestic Industry that the submissions made by them or by any other interested parties are not recorded as essential facts under consideration by the Authority in the disclosure statement in terms of Rule 16. Therefore, the contention of the Domestic Industry that the Authority has not disclosed essential facts is based on incorrect appreciation of facts and law, as the whole object of Rule 16 is to disclose all the facts gathered by the Authority deemed essential for its final conclusion in terms of Rule 17.
- b. It is further noted that the object and purpose of disclosure under Rule 16 is to seek comments on disclosure statement and undertake necessary changes thereto based on such comments. It was also noted from the submission of the Domestic Industry through its legal representative or directly by them, that they want the Authority to communicate its decision on extension of duties.

They have also sought information like constructed normal value, dumping margin which was never disclosed to interested parties as a settled practice of the Authority in order to protect confidentiality of the information used by the Authority from the confidential information submitted by the interested parties. Therefore, the interpretation that is being resorted to by the Domestic Industry, that the disclosure statement should be exact replica of the final findings would frustrate the object and purpose of disclosure statement. Further, such an interpretation is unfounded in the Rules and also against settled principles of statutory interpretation. In any case, the interpretation given to Rule 16 by the Domestic Industry is neither legally nor logically correct.

- c. In relation to the submissions sent directly by the petitioner company, it is noted that the same have been addressed at appropriate places in the final findings. Further, in relation to the WTO cases and judgements of the CESTAT and High Courts submitted by the Domestic Industry, it is noted that the WTO cases and judgements of Hon'ble High Courts and CESTAT cited by the Domestic Industry cannot be made *pari-materia* applicable to the facts and circumstances of the instant investigation, as the Authority has disclosed all the essential facts to all the interested parties as deemed essential in terms of Rule 16.
- d. In relation to the submissions relating to Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement and Rule 16 of the Anti-Dumping Rules "the authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures, it is noted that the Authority has appropriately disclosed all the essential facts to be considered for its conclusion in final findings.
- e. In relation to the submission of the Domestic Industry that the Authority has not considered certain submission made by the Domestic Industry, it is noted that the Authority has considered all the submissions of the Domestic Industry. It is also noted that the Domestic Industry was expecting final conclusion in the disclosure statement about extension of the duties, which is nowhere stipulated by the Rules. Therefore, there is no merit in the request of the Domestic Industry that the Authority should disclose its decision on extension of duties at the stage of disclosure statement. It is also important to note that, the Authority can reach to any conclusion, only after receiving comments on the disclosure statement by all interested parties and after satisfying itself on the facts and figures to be used for making final determination.
- f. In relation to facts pertaining to likelihood of dumping and injury submitted by all the interested parties, it is noted that the same has been appropriately recorded in the final findings and therefore, no prejudice can be caused to any interested parties including Domestic Industry.
- g. In relation to the submissions of the Domestic Industry that by not disclosing the conclusion by the Authority, purpose of the disclosure statement is defeated, it is noted that it would be inappropriate to disclose any conclusion without ascertaining the correctness and completion of the facts, which eventually would form basis of the conclusion. Moreover, the sole purpose of Rule 17 i.e. to submit the Final Findings, gets defeated and disclosure of such information at the stage of disclosure statement would defeat the object and propose of Rule 16 of AD Rules, 1995. Precisely, for this reason Rule 16 has provided provision of disclosing only essential facts under consideration by the Authority which will form the basis of its decision.
- h. In relation to the submission of the Domestic Industry that the Authority has not examined its submission relating to relevance of causal link analysis in sunset review investigations, it is noted that the purpose of the disclosure statement is to seek comments on the appropriateness of the facts recorded by the Authority and the examination have been done at appropriate places in the final findings issued under Rule 17.
- i. In relation to the submission of the Domestic Industry that the Authority has overlooked the situation post expiry of the duties, it is noted that the Authority has based its determination based on the facts and data submitted by the interested parties during the course of the investigation. The same has been appropriately disclosed in the disclosure statement. Therefore, contention of the Domestic Industry that the Authority has overlooked post expiry situation is factually incorrect.

- j. In relation of the submission of the Domestic Industry that in case of revocation of the duties, their market share, profitability will suffer, it is noted that the Authority has based its conclusion based on the submissions made by all the interested parties and after appreciating the law and logic of the said submissions. Therefore, it would be incorrect to state that the Authority has not appreciated the facts in relation to financial condition of the Domestic Industry in the event of revocation of duties.
- k. In relation to freely disposable capacities submitted by the Domestic Industry, it is noted that the Authority has appropriately analyzed the capacities freely disposable at appropriate place in the final findings.
- l. In relation to the submissions relating to excess capacity and its impact on cost and likelihood, it is noted that the Authority has dealt with this issue at appropriate places in the final findings.
- m. In relation to submission that the Domestic Industry is doing substantially well and is not vulnerable to any injury from imports in the event of expiry of present duties, it is noted that the same is analyzed at appropriate places in the final findings.
- n. In relation to the submission that the purpose of anti-dumping duties is not to indemnify the excess capacities created by the Domestic Industry to cater to the foreign market, it is noted that the purpose of the anti-dumping duties is to create a level playing field and in the sunset review investigation, the obligation of the Authority is to determine the likelihood of dumping and injury to the Domestic Industry in the event of cessation of anti-dumping duties. In view thereof, the contention of interested parties is misplaced.
- o. In relation to the diversion of excess capacities to India, it is noted that the Authority will not solely base its determination on the availability of the excess capacity. Further, examination of excess capacities has already been made at appropriate places in the final findings.
- p. In relation to the submissions that the Domestic Industry has fully recovered from the adverse situation, it is noted that the Authority has analyzed the same at appropriate places in the final findings.

L. EARLIER CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS IN FINAL FINDINGS DATED 11TH JANUARY, 2019

- 81. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of the above facts, circumstances, and analysis, the Authority had earlier concluded in its Final Findings dated 11th January, 2019 that continuation of antidumping duty is not warranted and accordingly did not recommend extension of antidumping duty on the imports of subject goods from the subject countries.

M. CHALLENGE IN CESTAT AND CESTAT ORDERS

- 82. The aforesaid findings dated 11th January, 2019 were challenged by the domestic industry in appeal under Section 9C of the Act.
- 83. The Hon'ble CESTAT observed with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury as under;

19. On the issue of likelihood of continuous or recurrence of dumping and injury in case of cessation of Anti-dumping duty, the DA observed that there is no evidence to prove that the excess capacities available with the exporters of the subject country would be diverted into India in the event of revocation of anti-dumping duty. Also, he has observed that insufficient demand in the subject country and un-utilised capacity will be utilised to dump goods into India cannot be a factor to draw adverse inference against the exporters from such country. Further, he has observed that export restrictions by USA, Canada and European Union on the subject goods would make Asia being the only market available and the goods would be dumped in India, in the absence of evidence cannot lead to an adverse impact against the exporters. With regard to anti-dumping measures initiated in China and its market for exporters from Chinese Taipei it is noted that the facts and circumstances of investigations are different, therefore cannot be equated in deciding the present case. He has also commented that being the hub of Asia transport routes Chinese Taipei enjoys lower shipping cost or bulk shipping cannot be held against them. Further

he has observed that importance of India as a market is accentuated by the fact that the demands in India is growing and is expected to increase, therefore revocation of duty will have no adverse impact. He has finally observed that imports are not likely to increase both in absolute terms as in relation to production and consumption in the event of anti-dumping duty is removed.

20. The domestic industry, on the other hand, has contended that dumping margin has been determined by the authority in the range of 15-25% when the duties were in force. Thus, there is likelihood on the expiry of the duty, the dumping of goods would further intensify. It is their contention that the domestic industry had not earned adequate profit even during the period when the dumping duty is in force as they had to match and manage the sales prices with the landed price of the imported goods even though the market share has been slightly improved. It is their contention that the profit is meagre at 2% while the returns on capital employed is merely 5% during the POI, when 22% on such return is considered as normal. Further, they have argued that in the circumstance of undercutting of the prices of domestic industry, the importers in India would have clear preference for the imported product being dumped which would result in surge in import. They have submitted that even though there is marginal improvement on certain fronts in the performance of the domestic industry, but if the duty is withdrawn, negative effect on production would be immediate and whatever benefit obtained would be wiped out. Further, laying emphasis on the surplus capacity with foreign exporters in absence of alternative market, they have argued that it is sufficient indicator in favour of likelihood of increase in dumping of goods in India on expiry of duty.

21. We find merit in the contention of the Advocate for the Appellant. In our view there is a fundamental fallacy in the approach of the DA in the determination of likelihood of recurrence of dumping and injury post removal of the duty on the subject goods from the subject country. There is no dispute of the fact that evidence of past and present circumstances is relevant and necessary to arrive at a reasonable and logical determination of continuation of same scenario in future warranting continuation of antidumping duty or otherwise. However, it is impractical and also illogical to insist on the positive evidences on future events, for determination of the likelihood of dumping and injury in future on removal of duty. The parameters to reach at the conclusion on likelihood of dumping and injury adopted in the Sunset Review proceeding by various countries mentioned above are: to name a few, current dumping and injury, significant production capacity and inventories of exporters, existence of barriers for import of such goods in other countries, failure of respondents to participate in review proceeding, declining demand in exporters domestic market, high degree of dependence on export market by exporters, etc.. We also find that more or similar parameters are appearing under the Annexure-II of the Anti-Dumping Rules, 1995.

22. In this back drop, we find that the Appellant domestic industry could reasonably establish through present and past evidence that most of these parameters are satisfied in the present case. The dumping margin is in the range of 10-15% and is positive and above de-minimis. Despite anti-dumping duty, the earning of domestic industry is meagre 2% and return of capital is around 5% against the normal return of 22%. The landed value of import without anti-dumping duty are below the cost of production of domestic industry. The Appellant was able to show that there is a demand of around 17,216 MT in domestic market, whereas the ideal capacities of foreign exporters are around 24,376 MT. Export restrictions are placed on subject goods in other international markets viz. USA, Canada and European Unions, leaving major market only in Asia. The subject goods restriction in China PR being added to the list of restricted toxic substance would find its way in Indian market. There is growing Indian market in the sense that per capita consumption surfactant is expected to increase. Further, they could show that the export from Chinese Taipei to other countries have been made at dumped prices. Besides, the most important factor is that there has been no participation/response by the exporters of the subject goods on the proposed continuation of anti-dumping duty. Therefore, cumulatively considering all these parameters which are normally adopted internationally and also in line with Annexure II(vii) of the Anti-Dumping Rules, 1995, in Sun Set Review proceedings, we are of the view that on removal of the anti-dumping duty there will be likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic Industries.”

84. While the said decision of Hon'ble CESTAT came on 28.11.2019, the anti-dumping duty which was earlier imposed through Customs Notification no. 05/2014-Cus (ADD) dated 16.01.2014 had already expired on 15.01.2019. This resulted in a gap and in view of the same a clarification was sought from Hon'ble CESTAT by moving miscellaneous application to clarify that whether anti-dumping duty can be imposed after expiry of original duty notification in view of decision of the Hon'ble Delhi High Court in the matter of **Forech India Ltd Vs Designated Authority** with regard to extension of duty after expiry of existing duty. In the said judgement it has been held that “.... the Act has fixed a period for completion of Sunset Review within one year from the date of expiry of the initial five year levy and it is in this one year period that the Government must form a view that the cessation of duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Therefore, it is only within this period that it may extend i.e. without breaking the continuity of the previous duty or its modified version, for a further period of five years....”

85. The Hon'ble CESTAT vide its Miscellaneous Order No. 50114/2020 dated 21st February, 2020 disposed the Miscellaneous Application No. 50109 of 2020 for clarification and held as under:

“25. In this view of the matter, the decision of the Delhi High Court in Forech India would not be applicable to the facts of the present case in as much as the said decision relates to the original determination by the Designated Authority and not to a determination when a remand is made by the Appellate Tribunal. The contention of the learned Counsel appearing for the importers cannot also be accepted for the same reason.

26. The Application, accordingly, stands disposed of with the aforesaid clarification.”

86. The Authority has re-examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case of cessation of anti-dumping duty in terms of the paragraph (vii) of Annexure-II, and observations made by the Hon'ble CESTAT vide its order dated 28.11.2019.

N. CONCLUSIONS

87. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties, facts available before the Authority and observations and analysis of the Hon'ble CESTAT in the judgment as recorded above in respect of likelihood of recurrence of dumping and consequent injury, wherein the Hon'ble CESTAT has held as under:

Para 21. “it is impractical and also illogical to insist on the positive evidences on future events, for determination of the likelihood of dumping and injury in future on removal of duty.”

Para 22. In this back drop, we find that the Appellant domestic industry could reasonably establish through present and past evidence that most of these parameters are satisfied in the present case. The dumping margin is in the range of 10-15% and is positive and above de-minimis. Despite anti-dumping duty, the earning of domestic industry is meagre 2% and return of capital is around 5% against the normal return of 22%. The landed value of import without anti-dumping duty are below the cost of production of domestic industry. The Appellant was able to show that there is a demand of around 17,216 MT in domestic market, whereas the ideal capacities of foreign exporters are around 24,376 MT. Export restrictions are placed on subject goods in other international markets viz. USA, Canada and European Unions, leaving major market only in Asia. The subject goods restriction in China PR being added to the list of restricted toxic substance would find its way in Indian market. There is growing Indian market in the sense that per capita consumption surfactant is expected to increase. Further, they could show that the export from Chinese Taipei to other countries have been made at dumped prices. Besides, the most important factor is that there has been no participation/response by the exporters of the subject goods on the proposed continuation of anti-dumping duty. Therefore, cumulatively considering all these parameters which are normally adopted internationally and also in line with Annexure II(vii) of the Anti-Dumping Rules, 1995, in Sun Set Review proceedings, we are of the view that on removal of the anti-dumping duty there will be likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic Industries”, the Authority concludes that:

- i. There is continued dumping of the subject goods from the subject country.
- ii. The imports are below the cost of production of the domestic industry.

- iii. The idle capacity with the foreign exporters is significant, and more than total demand of subject goods in India.
- iv. On account of Export restrictions placed on subject goods in other international markets viz. USA, Canada and European Unions, and now China PR, the subject goods are likely to find its way in Indian market.
- v. There is growing Indian market in the sense that per capita consumption surfactant is expected to increase. Further, the export from Chinese Taipei to other countries have been made at dumped prices.
- vi. There has been no participation/response by the exporters of the subject goods on the proposed continuation of anti-dumping duty.
- vii. Despite anti-dumping duty, the return on capital employed of domestic industry is meagre 5% during the POI.
- viii. The expiry of duty is likely to lead to continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry.

88. In accordance with the observations of the Hon'ble Tribunal, the Authority, after cumulatively considering all these parameters, concludes that there is likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of expiry of anti-dumping duty.

O. RECOMMENDATIONS

89. Having re-examined the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of expiry of the current measure in place, in view of the directions of Hon'ble CESTAT, and foregoing conclusions, the Authority recommends continuation of anti-dumping duty in force on imports of the product under consideration from the subject country. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continuation of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margins of dumping and margins of injury so established, so as to remove the injury to the domestic industry, in the form and manner described in the table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive antidumping duty as modified, on all imports of the subject goods from the subject country, as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

DUTY TABLE

S.No.	Tariff Heading*	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount	Currency	Unit Of Measurement
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2907 13 00	Nonyl Phenol	Chinese Taipei	Any	Any	52.56	USD	MT
2	2907 13 00	Nonyl Phenol	Any country other than Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	52.56	USD	MT

P. FURTHER PROCEDURE

90. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. and Director General